nt>

16.13 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES EDUCATIONAL INSTITUTIONS ORDINANCE

AND

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL, 2004

Title: Combined discussion on statutory resolution regarding Disapproval of National Commission for Minorities Educational Institutions Ordinance, 2004 (No. 6 of 2004) and passing of National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004. (Not concluded).

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we will take up item Nos. 17 and 18 together. Now, I give the floor to Shri Bachi Singh Rawat to move the Resolution.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा'(अल्मोड़ा) : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा राट्रपति द्वारा 11 नवम्बर, 2004 को प्रख्यापित राट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अध्यादेश, 2004 (2004 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, I beg to move:*

> "That the Bill to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

*Moved with the recommendation of the President.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : माननीय सभापति जी, मैं लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 75 (2) के भाग (क) के अन्तर्गत संशोधन का प्रस्ताव करता हूं :

"कि राट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुंगिक वियों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर 20 मार्च, 2005 तक राय प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु इसे परिचालित किया जाए।"

इसी के साथ मैं जो अध्यादेश लाया गया है, उसके अनुशरण में जो पुनः विधेयक प्रस्तुत हुआ है, उसका विरोध करता हूं और वास्तव में जिस तरीके से लाया गया है, जिस कारण से लाया गया है, उसके

पीछे जो उद्देश्य हैं, वह वास्तव में आज एक प्रकार का एक गम्भीर प्रश्न सदन के सामने, संसद के सामने उपस्थित करता है।

प्रारम्भ में ही यह बात स्पट करना आवश्यक होगा कि हमारा जो राजनैतिक दल है और जिस एन.डी.ए. गठबंधन में हम लोग हैं, वह संविधान के अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यकों को शिक्षा तथा अन्य कार्यों की गारण्टी दी गई है, उसका पूरी तरीके से समर्थन करता है। उसके पक्ष में हमेशा हम लोग रहे हैं, लेकिन यह जो विधेयक आया है या उसके पहले जो 11 नवम्बर को अध्यादेश प्रख्यापित किया गया, इसकी भूमिका तीन जुलाई को सामने आई है और तीन जुलाई को मानव संसाधन ि वकास मंत्रालय द्वारा सरकारी कोा से, सरकारी खर्चे पर एक आयोजन किया गया और उसमें विशे रूप से, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को केन्द्रित करके ऐसा प्र ातीत होता है, जैसा समाचार-पत्रों में जाहिर हुआ है।

समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया । भारतीय जनता पार्टी संसद में सैकिंड लार्जेस्ट पार्टी है। उनके विचार जानने के लिए या सुझाव के लिए न किसी नेता और न ही किसी सांसद को उसमें आमंत्रित किया गया। लिहाज़ा जो भी डैलीब्रेशन्स हुए, उनकी जानकारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं हैं। जो जानकारी मिली है, वह समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है। आज के विधेयक को देखने से मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि एक ऐफीलिएशन की सुविधा उन विश्वविद्यालयों या संस्थाओं को उनके इच्छित विश्वविद्यालयों से मिल सके, इस प्रावधान के लिए यह ि वधेयक लाया गया है। लेकिन विधेयक के साथ जो कारण और उद्देश्य दिए गए हैं, उनमें केवल मात्र एक कारण दिया गया है। पैरा 2 में दिया गया है ---

> "Subsequently, in a meeting of the National Monitoring Committee for Minority Education held on August 27, 2004, similar views were voiced by many experts. Participants from various minority communities affirmed the need to provide access to such affiliation in view of the often restrictive conditions imposed by the existing statutes of the universities relating to the affiliation of such institutions."

इसके आगे तमाम बातें कही गईं कि उनका ऐसा स्टेटस नहीं है, इस कारण वह अलग-थलग पड़ गए। इस अध्यादेश को लाने, उसके बाद विधेयक, जो मैनडेटरी है, लेकर आने के पीछे जो कारण बताया गया, वह यह है कि विभिन्न विश्वविद्यालय जिनके द्वारा उनका ऐफीलिएशन होना है, वहां जो ऐग्ज़िसटिंग स्टेटेयूट्स (Statutes) हैं, उनके कारण कठिनाई है। मैं विनम्रता के साथ मंत्री जी के मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि देश में यदि कोई विधान है और आर्टिकल 30 के भीतर संवैधानिक अधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग के ऐफीलिएशन में कोई विधान बाधा उत्पन्न करता है तो उस विधान को, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने के लिए सुप्र ीम कोर्ट में जाया जा सकता है या आपने छः यूनीवर्सिटीज का जो शैडयूल प्रस्तुत किया है - दिल्ली यूनीवर्सिटी, नार्थ ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटी, पॉडीचेरी यूनीवर्सिटी, असम, नागालैंड, मिजोरम - वहां मुख्य रूप से सभी जगह आपके या आपके समर्थित दल का शासन है। कोई भी व्यवधान या बाधा पैदा करने वाला स्टेट्यूट जो ऐब इनीशियो नल एंड वॉयड है, न तो उनको Ultra vires डिक्लेयर कराएं, न ही उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाये । वे अपने स्थान पर यथावत रहें और हम संसद से नया लेजिसलेशन लेकर आ जाएं । लेजिसलेशन में कोई तात्कालिक कारण नहीं था। जिस आर्डीनेंस को मैंने डिसऐप्रूव किया है, तात्कालिक ऐसा कौन सा विाय आ गया जिसके कारण हाबड़-ताबड़ में आर्डीनेंस लाए, इसके पीछे कोई कारण मुझे मालूम नहीं पड़ता। जो कारण दिया गया है, वह वेग है। यह कहा जा

सकता है कि इसके पीछे जो हेतु है, 3 जुलाई की जो प्रक्रिया हुई, आमंत्रित करने में जो भेदभाव हुआ, उसके बाद जो प्रक्रिया चली, उससे जाहिर होता है कि इसके पीछे एकमात्र हेतु राजनैतिक उद्देश्य है। हम एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जब पांच साल तक एनडीए की सरकार रही, शिक्षा में सुधार के प्रयास हुए, पाठ्यक्रम में सुधार के प्रयास हुए। उसे सैफ्रनाइजेशन ऑफ ऐजूकेशन कहा गया। और तो और, सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी गई कि उसे निरस्त किया जाए, पाठ्यक्रम गलत है, संविधान के विपरीत है, साम्प्रदायिक है। तीन जजों की जो फुल बेंच आई, जिसे जस्टिस साहा हैड कर रहे थे, उन्होंने जो फैसला दिया, उसके बाद सारे आरोप और प्रचार तंत्र पर विराम लग गया। उन्होंने पाया कि जो कुछ हुआ, नियमानुसार, देश की परिस्थिति और संविधान की मर्यादा के भीतर शिक्षा के सुधार के प्रयास हुए। आज ठीक उसके विपरीत जो व्यवस्था लेकर आप आए हैं। मैंने जो संशोधन का प्रस्ताव दिया है, यह इसलिए आवश्यक हो गया कि वह आपकी ओर से आना चाहिए था, मंत्रालय की ओर से आना चाहिए था।

सरकार की ओर से आना चाहिए था और इस बिल को सर्कुलेट किया जाना चाहिए था। इसमें एक डेफीनेट समय तक राय ली जानी चाहिए क्योंकि यह इफैक्ट किसको करने वाला है ? यह इफैक्ट एक मात्र दिल्ली यूनीवर्सिटी नार्थ ईस्टर्न हिल यूनीवर्सिटीज, पांडिचेरी, असम, नागालैंड और मिजोरम के बारे में है। संविधान में देखने से मालूम पड़ा कि उसमें आंध्र यूनीवर्सटी जरूर है। इसके अलावा अलीगढ़ यूनीवर्सिटी है तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालय हैं लेकिन बाकी सारी स्टेट यूनीवर्सिटीज हैं। हमारी समवर्ती सूची में, बाद में हमारे संविधान संशोधन द्वारा लाया गया कि हमारी सातवीं अनुसूची की लिस्ट 3 में आइटम नम्बर 25 पर

हायर एजुकेशन है। जब समवर्ती सूची में विाय हो और केवल एक दिल्ली यूनीवर्सिटी को छोड़कर बाकी यूनीवर्सिटीज स्टेट की हों और स्टेट की राय न ली जाये, इसको सर्कुलेट न किया जाये तो इससे सरकार की जो मंशा है, उस मंशा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न खड़ा होता है।

राज्यों से उसको ओवर राइट करने के लिए बहुत जल्द बाजी में यह आर्डिनैंस लाया गया है जिसकी तात्कालिक आवश्यकता कहीं प्रदर्शित नहीं होती। इसके बाद बिल को सर्कुलेट करने के बजाय सीधे-सीधे लाया गया। जो दूसरी व्यवस्था है, इसी माननीय संसद में एक परम्परा के रूप में बिल को सलैक्ट कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में इसलिए भेजते हैं ताकि उस पर गंभीरता से विचार हो, गहन मंथन हो। इसके दूरगामी प्रभाव क्या होने वाले हैं, क्योंकि मंत्री जी विधेयक लेकर आये हैं उसमें जो परिभाााएं हैं, वे परिभाााएं भी आपने सारी क्लीयर कर दी हैं। आपने सात यूनीवर्सिटी रख ली है। सैकड़ों की तादाद में विश्वविद्यालय हैं। इसमें कहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराट्र जैसे विशाल प्रदेश में जहां विश्वविद्यालय आदि हैं, वह शामिल नहीं हैं। लेकिन इसमें प्रावधान दिया गया है कि बाद में सैंट्रल गवर्नमैंट उसको जोड़ और घटा सकेगी। आज तो वह शैड्यूल हमारे सामने है लेकिन भविय में वह इसको पार्लियामेंट में ले कर देंगे। ले होने के बाद जानकारी नहीं आयेगी। इसमें गंभीरता से बहुत अधिक विचार किये जाने की आवश्यकता है। जहां यह कंकरेंट लिस्ट में हो, अगर यूनियन लिस्ट में होता, तो भी बात समझ में आती। हम सैंट्रल यूनीवर्सिटी का एक्ट पास करने जा रहे हैं, तो भी बात समझ में आती। मै यह मानता हूं कि संसद का अधिकार सार्वभौम है लेकिन हमारी मंशा भी जरूर साफ होनी चाहिए। Justice should not only be done, it must also appear to have been done. इसमें न्याय नहीं हो रहा है। राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, उनके साथ क्या व्यवस्था हो। हमने यह कह दिया कि उन यूनीवर्सिटीज के कानून गलत हैं, उनके कानून के कारण बाधा है। बजाय कानून ठीक करने के हम ऊपर से एक नया बिल लेकर आ गये हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मेरी इसमें घोर आपत्ति है, डिस्एप्रूवल है। इसकी मैरिट में थोड़ी सी बात करें, तो अच्छा होगा। जब माननीय मंत्री जी बिल लेकर आये हैं, उसके धारा-4 में आपने अध्यक्ष और सदस्य नामित करने हैं, दोनों के लिए जो कंडीशन्स है, वे कॉमन हैं। वे कंडीशन्स यह हैं कि उसमें किसी न किसी अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो न तो वह सदस्य होगा और न ही वह चेयरमैन होगा। इसके बाद आपने जो व्यवस्था दी है, उस आयोग के जो अधिकार दिये गये हैं, आयोग के कृत्य और शक्तियां धारा 11 से लेकर धारा 13 में दिये गये हैं, उसमें विवाद की शिकायतों की जांच पड़ताल तो वह आयोग करेगा ही लेकिन उसकी जो धारा 12 है, वह घोर आपत्तिजनक है क्योंकि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, वह उसका घोर उल्लंघन करती है। धारा-12 में दिया गया है कि यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था और किसी अनुसूचित विश्वविद्यालय, जो शैड्यूल में दे दिये गये हैं, के बीच उनके ऐसे विश्वविद्यालय से सहबद्ध होने के संबंध में कोई विवाद उठता है तो उस पर आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

16.24 hrs. (Shri Arjun Sethi in the Chair)

मैं परिभाा की धारा-2 को पढ़ना चाहूंगा। इसके "च" भाग में दिया गया है कि अल्पसंख्यक से क्या तात्पर्य है - "इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वह समुदाय विपरीत है कि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए। " जिसका नोटिफिकेशन होगा, वह अल्पसंख्यक समुदाय आएगा और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वह होगी जो किसी विश्वविद्यालय से भी है तो महाविद्यालय या संस्था से मतलब है जो अल्पसंख्यक में से किसी व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित हो क्योंकि विधेयक है और यह मानकर विदाउट एनी प्रिजुडिस योग्य चेयरमैन होंगे, सारा कुछ होगा लेकिन यह चीज कॉमन आ रही है कि अल्पसंख्यकों को तो आपने पारिभाित करना है। लेकिन शैक्षणिक संस्थाएं भी अल्पसंख्यक के द्वारा संचालित होनी है और जो आयोग है, उसमें तीनों सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग से है, यह अनुचित है। जहां धारा 12 की बात है, आपका निर्णय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने का है, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नॉर्म्स हैं, जहां मानक बनता नहीं है या एआईसीटीई का मानक नहीं बनता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी मानक नहीं बनता, सारी तकनीकी शिक्षा तथा हायर एजुकेशन के लिए आपने अंतिम फैसला किसके हाथ में दे दिया है।

जो कमीशन आप बनाने जा रहे हैं और आपने यह कहकर कि इसका Decision of the Commission thereon shall be final. अंतिम फैसला दे दिया। अब जो यूनिवर्सिटी है तो उसके रूल्स होंगे या उसकी दिक्कत होंगी या आपने नॉर्म्स पूरे नहीं किये कि इस चीज की कमी है, शिक्षण स्तर की कमी है, स्टॉफ, कक्ष, भवन नहीं है और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी यू.जी.सी. के भीतर सैक्शन 3 में आपको बनानी है, उसके लिए भी और एफीलिएशन हम ला रहे हैं। उसके बाद जो संस्थाएं हमें मिलनी हैं, उसमें भी एक बात है। आपका तो फैसला फाइनल हो गया और फैसला फाइनल हो गया तो हर जगह अपील की गुंजाइश रहती है। अपील की गुंजाइश नहीं है तो रिवीजन तो कर लिया जाए। लेकिन उसको डिप्राइव कर दिया गया है यानी दोनों पक्ष समान नहीं हैं और पूरी-पूरी संभावना रहती है क्योंकि आयोग, उसके मैम्बर्स और तकनीकी संस्था सारे आल्पसंख्यक वर्ग से होने पर यूनिवर्सिटी के ऊपर एक ही बात रहती है कि वहां पर जो मामला कमीशन में आया और उसके बाद फाइनल हो गया, उसको यहएफिलियेशन प्रदान किया ही जाना है। मेरा ख्याल है कि यह बिंदु जो इसमें दिया गया है, बहुत आपत्तिजनक है। फिर आप कोई संशोधन लेकर आएं तो उस पर मैं दुबारा बल दूंगा। मैं जो संशोधन सरकुलेशन के बारे में लेकर आया हूं, उसमें यह राय बननी चाहिए क्योंकि हमें हर चीज से ऊपर उठकर राय देनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा है कि आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को जो गारंटी दी गई है, हम पूरे-पूरे समर्थक हमेशा से रहे हैं और साढ़े पांच वर्ा के अपने शासन में जितना कुछ मॉइनॉरिटीज की एजुकेशन के लिए तथा उर्दू के प्रमोशन के लिए हो सकता था, हम उन सारे वियों में आगे बढ़े हैं जिनकी सराहना भी स्थान-स्थान पर हुई है। लेकिन यह जो विाय आया है, आपके यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी. इन सबसे हटकर मैंने शुरू में ही उल्लेख किया कि हमें सेमीनार, बैठक में नहीं बुलाया गया था और न ही हमारे किसी प्रतिनिधि को बुलाया गया था। हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया था। वहीं से ही दुर्भावना मालूम पड़ती है। जो पॉयनियर, नई दिल्ली, 13 अगस्त में रिपोर्ट की गई है और उसमें कहा गया है जिसे मैं कोट कर रहा हूं। उसके बारे में कहा गया है :

> " This would effectively mean that such institutions would bypass the norms set by the University Grants Commission (UGC), the apex statutory body to regulate higher education. It could also make the role of the All India Council of Technical Education (AICTE) and Medical Council of India (MCI) redundant for institutes set up by the minorities. "

यानी वह अनावश्यक हो जाएगा। उसको बाईपॉस करके आप चलेंगे। यह जो एप्रीहेंशन है, उसके अलावा और आगे समाचार-पत्र में दिया गया है। There could

be a problem. अब ये मॉइनोरिटीज कौन होंगी कि जिन मॉइनोरिटीज के लिए अगर हम जा रहे हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, भााा के आधार पर हो सकते हैं, रिलीजन के आधार पर हो सकते हैं, लैंग्वेज के आधार पर हो सकते हैं तो उसमें क्या समस्या आ सकती है और जो आशंका जताई गई है, उससे मैं समझता हूं कि हम सभी लोग सहमत होंगे। आशंका यह जताई है कि :-

> "There could be a problem if a group of Oriyas, or Malayalees, Telugus, Tamils or Bengalis claims minority status in States other than its native place. Similarly, Hindi-speaking people in a district of Kerala could claim to be a minority. Religious groups of all kinds would start vying for the same status in all parts of the country, observed experts. "

यह एक्सपर्ट की ओर से आया है। आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिदुं इनके द्वारा कहा गया है। उसको भी मैं संक्षेप में कोट करना चाहूंगा :-

> "A majority of private medical and engineering colleges which earned huge money through capitation feesâ€¦ "

यानी जिसकी ओर से ज्यादा खतरा दिखाई पड़ता है,

> "â€¦were vying to get the minority institute status either on religious or linguistic lines. For example, colleges in the Delhi NCR are trying to get the minority status claiming that Telugus and Tamils were a minority in their district. In Rajasthan, there are, at least, 30 minority professional institutes, at present. "

इसका उल्लेख मैंने इसलिए किया कि यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आयेगा । हमारे नार्म्स पूरे नहीं हैं, हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी भी नहीं है, हमारे कालेज में पर्याप्त प्रबंध नहीं हैं, और जिस बात को रोका जा रहा है कि शिक्षा का स्तर समान रूप से हर भारतीय और हर वर्ग के लिए रहे, तो उसमें बाईपास करेंगे तो उसमें ऐसा खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसके बारे में मीडिया या एक्सपर्ट्स के विचार भी हमारे सामने आए हैं।

इसी का दूसरा पहलू है। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद का मसला आया था। सभी को मालूम है कि उस समय सारे समाचार पत्रों में और दूसे मीडिया के माध्यम से या अन्य तरीकों से भी केवल यही विाय उभरा था कि एनडीए की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से यूनिवर्सिटी की आटोनमी पर आघात पहुंचाया जा रहा है, उसके अंदर दखल दिया जा रहा है। जबकि वह विाय नहीं था। विाय केवल एकेडमिक आटोनॉमी और दूसरी बात फाइनेंशियल आटोनॉमी का ही था। उसमें भी फीस से सम्बन्धित विाय था कि एक सामान्य व्यक्ति को भी वहां प्रवेश मिल सके। इसलिए फीस का स्ट्रक्चर इतना होना चाहिए कि जिससे आई.आई.एम.ए. को भी नुकसान न हो और गरीब से गरीब व्यक्ति को भी शिक्षा मिल सके। यह व्यवस्था बनाई गई थी। उस व्यवस्था को काफी बल मिला, कोर्ट के बाहर भी, कोर्ट के वर्डिक्ट से भी और कोर्ट के डायरेक्शन से भी और एक जनमत मिला कि हां, यह न्यायोचित है तथा यह उसकी एकेडमिक आटोनॉमी के भीतर दखल नहीं है। कौन सा पाठ पढ़ाना है, कौन से नार्म्स हैं, कौन सा कालेज एफिलिएट होगा, इस सम्बन्ध में कोई दखल नहीं था। लेकिन आज जो बिल आया है, यह

निश्चित रूप से जो विश्वविद्यालय हैं, जिनको आटोनॉमस कहते हैं, उसको ओवरराइट करके, ऊपर से कमीशन बिठाकर उसके फैसले को फाइनल कर दिया जाएगा, तो इससे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी आटोनॉमी के खिलाफ सीधे-सीधे प्रहार होगा।

मैंने यहां कुछ ही समाचार पत्रों का उल्लेख किया है। मेरे पास और भी कई जानकारियां हैं,. पूरा बंच है। लेकिन मैं सदन का अमूल्य समय नहीं लेना चाहता। इन सबमें आटोनॉमी के बारे में कहा है, यूजीसी, एआईटीसीई, एम.सी.आई. आदि को बाईपास करके ऐसा खतरा सामने आ सकता है, जिस तरीके से आप इसे लेकर आए हैं।

मैं उल्लेख कर रहा था कि हम इसके समर्थन में हैं कि सबको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। जिस समय संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, तो वहां पर जो वाद-वि वाद हुए हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के समक्ष अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट आई, जो परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट थी। उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उनका यहां उल्लेख करना चाहूंगा। यह बैठक 29 मई, 1950 को तत्कालीन राट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी के सभापतित्व में हुई थी। यह पुस्तक है संविधान सभा के वाद-विवाद संख्या 5 और पृठ है 510। इस मसले पर काफी लम्बी और डिटेल में बहस हुई थी। उनके ि वचार भी बहुत विस्तार से हैं। लेकिन मैं यहां उसमें से एक छोटा सा पैरा ही पढ़ना चाहूंगा। पेज नम्बर 510 में लिखा है :-

> " मैं यह चाहता हूं कि इस मसले पर चाहे अल्पसंख्यकों के लिए जगहों का या आरक्षण का सवाल हो या किसी प्रकार के संरक्षण का प्रश्न हो, आप वस्तुस्थिति को दृटि में रखते हुए विचार करें। ऐसा संरक्षण या अन्य प्रकार के किसी संरक्षण का उस हालत में तभी मायने है, जबकि आपके यहां कोई निरंकुश या विदेशी शासन हो। पर जब आपके देश में प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था चालू है, तो उस हालत में इस तरह की आरक्षण की व्यवस्था रखने से उस वर्ग को जिसके लिए व्यवस्था की जाती है, वस्तुतः लाभ के बदले नुकसान की ही ज्यादा सम्भावना रहती है...।

जबकि देश में बाहरी हुकूमत हो, निरंकुश राजा हो तो उस हालत में तो जरुरी है कि आपके लिए लाभप्रद हो, क्योंकि राजा आपमें फूट पैदा करा सकता है" । ये पंडित नेहरू जी के विचार हैं। "लेकिन जब आप लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के भीतर हैं और आप छोटे अल्पसंख्यक वर्ग को भी संरक्षण देते हैं तो वह अल्पसंख्यक वर्ग हमेशा के लिए आपसे कट जाएगा। हो सकता है कि संरक्षण से कुछ परित्राण उसे प्राप्त हो लेकिन यह भी सोचिये कि उसके लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है।" शिक्षा का जो क्षेत्र है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे सुरक्षा, कृाि आदि लेकिन शिक्षा और वह भी सार्वभौम शिक्षा और उसमें भी शिक्षा का स्तर और शिक्षा के बारे में मापदंड। अगर हम इन सबकी अनदेखी करके वन-साइड जैसी की आशंका व्यक्त की गयी है, कई संस्थाएं खड़ी करके, मान्यता लेकर कमीशन के माध्यम से अफिलिएशन लेंगे तो विश्वविद्यालय की शिक्षा का जो स्वरूप है, उसका जो स्तर है और देश के अंदर जो चिंता है, उसको बल मिलेगा। 'Justice hurried is justice burried.' इसमें चिंता करने का विाय है और इसे अन्यथा न लेते हुए जो परिचालन का संशोधन आया है माननीय सदस्यों के ि वचारों को सुनने के बाद, इसमें अगर आपको लगता है कि इसमें और अधिक चिंता करने की जरुरत है और आने वाले समय में इसके और कौनसे प्रभाव हो सकते हैं तो बिना संकोच के इसका विशलेाण हो। मार्च में जब बजट का सत्र आता है तो उस समय इसको प्रस्तुत किया जाए। आज तो इतना ही कहा जा सकता है आपकी इजाजत से कि " आगाज़ तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने" । शुरुआत तो ठीक लगती है लेकिन जिस जल्दबाजी में और बिना इसके प्रावधानों के, जो उसके कानूनी अधिकार होने चाहिए, विश्वविद्यालय को भी अवसर होना चाहिए कि अपनी बात कह सके। उसके खिलाफ फैसला हो रहा है तो वह कहां जाए। उसके संबंध में विचार नहीं हुआ। मैं तो यहां तक कहूंगा कि माननीय पाटिल जी, पोटा को हटाकर, दूसरे कानून की बात कर रहे हैं कि पोटा में कमी थी, तो आज अगर इसमें कमी है, यूनि वर्सिटीज के एक्ट्स में, तो तत्काल उसके भीतर कार्यवाही होनी चाहिए और लॉ-मिनिस्टरी को इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए और शिक्षा मंत्रालय और मान व संसाधन मंत्रालय आगे बढ़कर, देश भर में जहां-जहां ऐसी कमियां पाएं उनको दूर करने का कार्य करेंगे। मैं एक उल्लेख करते हुए कि 12 सितम्बर 2002 का जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बैंच का फैंसला जो, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम का, उन्होंने उल्लेख किया है कि क्या हिंदुइज्म है, क्या धर्म है, क्या संप्रदाय है, इसका विशद वि वेचन किया है और माइनोरिटीज से जुड़े हुए 200 मामलों को कंसोलिडेट करके सुप्रीम कोर्ट उन पर विचार कर रहा है। तब तक उनकी भी राय आ जाए, स्टेट की भी

राय आ जाए, अन्य संस्थाओं की राय भी आ जाए और अगर वास्तव में स्टेच्यूट गलत है, उसका समाधान तो हो ही जाएगा और अगर फिर भी कोई गलत है तो उसके लिए पैनल क्लाजेज, दंडनीय प्रावधान भी लेकर आएं। जब माननीय सदस्यों के विचार सामने आयें क्योंकि इसमें अभी तक मैनडेटरी क्लॉजेज नहीं आया है। हमने 7 यूनिवर्सिटीज तो बता दीं, अब जिसको लेना है मैनडेटरी नहीं है,कोई आयेगा भी या नहीं आयेगा। इसमें आकर के यूनिवर्सिटी को अपनी चोइस के लिए कहा गया है कि

> "Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a Minority Educational Institution may seek recognition as an affiliated college of a Scheduled University of its choice. "

वह मैंडेटरी नहीं है. डिसक्रिश्नरी है। फर्ज करिए कोई नहीं आता है, कमीशन बना दिया, कमीशन के लिए फाइनैंशल मैमोरंडम लग गया और पब्लिक मनी उसमें खर्च होनी है, जैसे दफ्तर लगाना है, स्टाफ रखना है, सैक्रेटरी रखना है, सभी काम होना है, अगर मैंडेटरी नहीं है तो जिस की मर्जी आए आ जाए जिस की मर्जी नहीं है न आए, यह प्रावधान है। इस पर विचार होना चाहिए। यदि आप इसे लेकर आ रहे हैं और सारी चीजें तय कर रहे हैं, फिर सारे के सारे एफिलिएशन इसके माध्यम से आएंगे। जो कमियां इसमें परिलक्षित हो रही हैं, उन पर गहराई से चिन्तन हो। इसे स्टैडिंग कमेटी को भेजा जाए और सर्कुलेट किया जाए।

शुरूआत के दौर आए। उसमें पोटा आया। अब विपरीत तरीके से यह विधेयक आया है। हम लोगों ने उसका विरोध भी किया। इसमें संविधान के विपरीत व्यवस्था है। आरक्षण का लाभ कोटे के आधार पर हो सकता है लेकिन यहां धर्म के आधार पर करने का प्रयास हुआ है। न्यायालय ने भी â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shri Bachi Singh Rawat.

*(Interruptions)**

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :हम इस बात से सहमत हैं कि कमियों को सब के सांमने लाना चाहिए। अदर बैकवर्ड क्लासिज में जुलाहा, मल्लाह हैं लेकिन धोबी और पासा नहीं हैं। उन्हें इसकी सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए। â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shri Bachi Singh Rawat.

*(Interruptions)**

*Not Recorded.

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब से यूपीए की सरकार आई है, इस प्रकार की कई चीजें आई हैं। यहां पोटा आया। आन्ध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण हुआ। अब माइनॉरिटी कमीशन बना कर केवल एक संदेश देने का कार्य किया है कि हम मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। आप इसके द्वारा माइनॉरिटीज के वोट को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब उत्तरप्रदेश, बिहार, आन्ध्र प्रदेश में ऐसी राजनीति चली है जिससे अल्पसंख्यकों को खुश किया जा सके।

हमारा मानना है कि उनका वास्तव में उत्थान किया जाए, उनकी स्थिति में सुधार किया जाए और शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए लेकिन ऐसा कोई इरादा मौजूदा सरकार का नहीं है। मैं अंत में अपनी बात पर बल देते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि ' **इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या"**

MR. CHAIRMAN : Motions moved :

> " That this House disapproves of the National Commission for Minorities Educational Institutions Ordinance, 2004 (No. 6 of 2004) promulgated by the President on 11th November, 2004."
>
> "That the Bill to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."
>
> "That the Bill to constitute a National Commission for Minority Educational Institutions and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 20th of March, 2005."

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : सभापति महोदय, मैं बोलने का समय देने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस सरकार को यह बिल लाने के लिए बहुत बधाई देता हूं। यूपीए की सरकार ने कॉमन मीनिमम प्रोग्राम के अन्दर जो वचन दिया था, उसे प्रधान मंत्री ने पूरा किया। कॉमन मीनिमम प्रोग्राम की चेयर पर्सन ने भी देश की जनता को दिया वचन पूरा किया। माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक लाकर उस वचन को पूरा करने की कोशिश की है। मैं इसकी वजह से उनको बधाई देता हूं।

इशू क्या है? इशू यह है कि माइनॉरिटीज के इंस्टीट्यूशन्स अपनी चॉयस से शेडयूल यूनिवर्सिटी के साथ अपनी एफिलिएशन चाहे तो मांग सकते हैं। इसके बारे में कमीशन बनाया जाएगा। यह कमीशन ऐसे जो इंस्टीट्यूशन्स हैं. जो एफिलिएशन ढूंढ रहे हैं या एफिलिएशन मांग रहे हैं, स्टेट की यूनिवर्सिटी या वहां ज्यॉन हो सकती है। अगर वहां नहीं हो सकते तो सैट्रल यूनिवर्सिटी में ज्यॉन हो सकते हैं।

यह विधेयक एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है, जो हमेशा स्टेट को खासकर माइनोरिटीज के लिए प्रोवाइड करना चाहिए। हम बाहर चाहे कितना भी कहें, अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि उन्होंने 6-7 सात के अंदर जितना हो सका, उतना माइनोरिटीज के लिए किया। लेकिन मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूं जिसने उनकी मानसिकता इस राज्य के अंदर नहीं, इस देश के अंदर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में उनकी क्या मानसिकता है, उसे उजागर करने का काम किया है। गुजरात एक ऐसा

प्रदेश है, जिसमें अंदर ढूंढकर कोई ऐसा आदमी हैं, रिजर्वेशन की बात आप जाने दीजिए, रिक्रूटमैन्ट के अंदर और वहां से शन्टिंग करने की एक पूरी साजिश स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन् वार्ों से चला रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहता हूं, जिसे जानकर आपको थोड़ा शॉक लगेगा। मेरी कांस्टीटुएंसी के अंदर आर.टी.ओ. ऑफिस चालू किया गया। यह आर.टी.ओ. ऑफिस जहां बना था, गुजरात मे रॉयट्स के बाद उस जगह के आसपास माइनोरिटीज की पापुलेशन बहुत ज्यादा हो गई। वहां पर सैन्ट्रल स्कूल भी पहले से ही बन रहा था। लेकिन बाद में ये सब लोग उसके इर्द-गिर्द आ गये। वहां पर एक लेडिज स्कूल भी बन रहा था। इस मकान के अंदर आर.टी.ओ. के आफिस दूसरी जगह से शिफ्ट होकर माइनोरिटी के इलाके के अंदर जा रहा था। इस तरह से वह जो एक खुला मैदान था, वहां पर आज हजारों लोग बसे हैं। वहां पर आर.टी.ओ. का मकान भी बन रहा था। सिर्फ माइनोरिटीज के इलाके में यह आर.टी.ओ. ऑफिस और मकान जा रहा था। वहां के विधायक, जो इनकी पार्टी के है, चीफ मिनिस्टर के पास जाकर उसे रुकवाया और उसे बंद करवाया। उसके बारे में माइनोरिटीज का एक ग्रुप हाईकोर्ट में गया है, ताकि इसे वापस लाया जा सके। उसके लिए आज वह लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यह मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि यह एक्सप्लिसिट है। इनका रवैया जाहिर नहीं है, यह हिडन है। यह जो हिडन सेगरिगेशन है, जिसे हिडन रेसिज्म कहते हैं, इस तरह से जो हरिजन सेगरिगेशन है, वह हर एक स्टेज पर आता है। वह स्टैप रिक्रूटमैन्ट में भी आता है। वह स्टैप माइनोरिटीज के आदमी को दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो एपेरेन्ट रीजन्स देने पड़ते हैं, उसमें भी आता है। वही माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशन, अगर स्कूल चालू करना चाहते हैं तो उसे रिकॉग्निशन और अप्रूवल देने में भी आता है और अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कालेजेज और दूसरे वोकेशनल इंस्टीट्यूशन चालू करना चाहते हैं, उसमें भी यह आता है। इस तरह से एक जाति की जो प्रोग्रैस हैं, उस प्रोग्रैस में एजूकेशन ऐसी चीज है जो जाति को एक सीढ़ी देती है, जिस पर आदमी चलकर अपनी पूरी कम्युनिटी का विकास कर सके। इनके हिडन सेगरिगेशन और डिस्क्रिमिनेशन से वह जो पूरा रास्ता है, वह रास्ता हमेशा से ऐसे राज्यों के अंदर और विशेा रूप से मेरे राज्य के अंदर बंद किया गया है। यह जो मैकेनिज्म है, एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर लाने का और उन्हें एफिलिएशन देने का, वह रास्ता खुल रहा है और स्टेट का जो ऑब्लिगेशन है, वह स्टेट अपना ऑब्लिगेशन इस बिल से पूरे देश के जो माइनोरिटीज ग्रुप्स हैं, जो पापुलेशन है, उसके फुलफिलमैन्ट की ओर जाता है। इसलिए मैं इस सरकार को जितनी भी बधाई दूं, वह कम है। इससे क्या होगा? इस देश के अंदर जनता के जो लोअर तबके हैं, जिनमें एस.सी., एस.टी, माइनोरिटीज और ओ.बी.सी. ये चार बहुत बड़े ग्रुप्स हैं। इनमें आप टोटल नम्बर ऑफ पूअर ले लीजिए, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ले लीजिए, ये इन्हीं चार तबकों में से आते हैं। इसमें चाहे आप अनइम्पलॉयड ले लीजिए, वे भी इन्हीं चार तबकों में से आते हैं।â€¦ (व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : आपको मंत्री नहीं बनाया।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आप इसकी चिंता मत करिये। मंत्री बनाना होगा तो आपको पूछने के लिए नहीं आयेंगे। आप अपनी बात करिये।â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please address the Chair. Please do not get distracted.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : इनका काम यहां बोलना नहीं है, इनका काम तो आग लगाने का है। वह हमेशा आग लगाते आए हैं। उनको हम यहां सुनते आए हैं। इनसे क्या बात करूं, इनकी पार्टी जो आज बता रही है कि हमने सात सालों के अंदर माइनारिटीज़ के लिए यह किया, आज की तारीख तक इनका कोई भी गुजरात का मंत्री जो लोग दंगों में निराश्रित हुए, उन बेघरबार हुए लोगों से एक भी कैम्प के अंदर जाकर नहीं मिला, यह इनका इतिहास है। एक एकड़ जमीन भी उनको नहीं दी, यह इनका इतिहास है। आज भी ये मारो-काटो की मानसिकता नहीं छोड़ते, यह इनका इतिहास है। ये क्या इस बिल को सपोर्ट करेंगे, ये तो हमेशा इसको राजनीति से देखते आए हैं। इनकी तकलीफ़ क्या है वह मैं बताना चाहता हूँ। इनके दो माइन्ड्स हैं। ये यहां पर विरोध करेंगे, लेकिन इनके बच्चे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन्स में पढ़ते हैं, जैसे सेन्ट जेवियर्स और माउंट कारमल में ही पढ़ते हैं। ये सिर्फ माइनारिटी इंस्टीट्यूशन्स में ही पढ़ने जाएंगे, दूसरी जगह पढ़ने नहीं जाएंगे, भले ही यहां विरोध करते रहें। इसलिए इनके ये दो नकाब हैं, जो हमेशा इस सदन के अंदर भी कितनी बार देखे गए। 13वीं लोक सभा में भी देखे गए और आज भी हम देख रहे हैं। मैं अपनी बात पर आता हूँ। यह जो तबका शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ तथा ओबीसी और माइनॉरिटीज़ का है, यह इस देश के अंदर हमेशा ही नीचे से नीचे रहा है और उसको आगे लाने के लिए शिक्षण के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इस चारे के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और राज जब हिडन एजेन्डा को इंप्लीमैंट करने का ट्राई करता है तो उसका विकास कुंठित होता है, वह विकास नहीं हो सकता। इस मैकेनिज्म की वजह से जो तीन-चार तबके हैं, उसमें से पूरी माइनॉरिटी का जो ग्रुप है, उसके लिए जो डैवलपमैंट के एवेन्यूज़ हैं, वे ओपन करेंगे। एक बार यहां पर बात उठी, कल इनके एक सदस्य बोल रहे थे कि मदरसों में ज्यादा से ज्यादा दूसरी किस्म की शिक्षा दी जाती है। ये बोलते हैं कि मेनस्ट्रीम एजुकेशन देनी चाहिए। मेनस्ट्रीम एजुकेशन जो कालेज में दी जाती है और ऐसे कालेज जो युनिवर्सिटी पसंद करते हैं, उनका भी ये विरोध करते हैं। कल यहां पर बताया गया कि मदरसों में कई जगहों पर ऐसी एक्टिविटीज़ चलती हैं जो इस देश के साथ सुसंगत नहीं होतीं। 13वीं लोक सभा में इनके मंत्री से एक प्रश्न पूछा गया कि इस देश में कितने ऐसे मदरसे हैं जिनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति चलती है जो इस देश के इंटरस्ट के खिलाफ है। आप रिकार्ड देख लीजिए, उस डिबेट में मैं भी हाजिर था और हमारे व्हिप प्रियरंजन दासमुंशी जी भी थे। इनके मिनिस्टर इस देश में एक मदरसा ऐसा नहीं बता सके जिसमें इस देश के विरुद्ध कोई कंट्रोवर्सी चलती हो। यह रिकार्ड की बात है, आस्था की बात नहीं है। â€¦ (व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : बिल पर बोलिये। â€¦ (व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं उसी पर आ रहा हूँ। चिन्ता मत करिये। मैं आपको उजागर कर रहा हूँ। â€¦ (व्यवधान)

यहीं पर बात चली जब नियम 193 के तहत चर्चा हुई थी कि इस देश के अंदर बार्डर्स पर सब मदरसे मशरूम हो रहे हैं। जब पूछा गया कि कहां पर मदरसे बढ़े हैं तो ये बता नहीं सके। जब पूछा गया कि कौन से इंटरनैशनल बॉर्डर के पास है तो इन्होंने कहा कि भारत की सरहद के अंदर नहीं, नेपाल की सरहद के अंदर बढ़ रहे हैं, बंग्लादेश की सरहद में बढ़ रहे हैं, गुजरात की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Mr. Mistry is saying. Please sit down.

*(Interruptions)**

*Not Recorded.

सभापति महोदय : आप इंटरप्शन मत करिये। बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी, तब आप बोल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं।

...(व्यवधान)

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, I am not yielding. Let him say whatever he has to say after I complete my speech.

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, वह अपने आप में जो सैलेबस और एजुकेशन देना चाहते हैं, उनको खुद के कैरैक्टैरिस्टिक्स को रखने के लिए उनका भी आप विरोध करें।

अगर नई स्ट्रीम का प्रबन्ध करें, तो उसका भी विरोध करना। आपकी ये दोनो बातें कुछ समझ नहीं आईं।

सभापति महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री, आप कृपया चेयर को एड्रेस करिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, मैं चेयर को ही एड्रेस कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजर उस तरफ चली जाती है, मैं क्या करूं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार जो बिल लाई है, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, वे इस देश के अंदर पूरी कम्युनिटी के लिए डैवलपमेंट के नए-नए ऐवेन्यूज खोलेंगे। आज यदि देखा जाए, तो मायनॉरिटी कम्युनिटी, देश की सबसे लोएस्ट कम्युनिटी में आती है। उनके लोग नौकरियों में बहुत कम हैं। वे लोग ज्यादातर औटोमोबाइल में हैं, बाप-दादाओं के जमाने से चले आ रहे बिजनैस को ही कर रहे हैं, नए छोटे-छोटे धंधे करते हैं और अपनी रोजी चलाते हैं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि किसी जाब में इन्हें लिया जाए, तो आज भी उस जाब के लिए जो क्वालीफिकेशन चाहिए, जितना क्वालीफाइड आदमी चाहिए, इस कम्युनिटी में उतना क्वालीफाइड आदमी नहीं मिलेगा। मुझे खुद इस बात पर शंका है कि जाब के लिए जो निर्धारित क्वालीफिकेशन होती है, वह मायनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं मिल पाएगी क्योंकि एजूकेशन आज से नहीं, वर्षों से पूरी की पूरी एजूकेशन, इनके शासन के आने के बाद, इस कम्युनिटी के लिए बन्द कर दी गई जिससे पूरा का पूरा मायनॉरिटी समाज कुंठित हो गया। इसलिए मैं खासकर सरकार से कहना चाहता हूं â€¦ (व्यवधान) Sir, I am just coming to the point. I think my Party has got some more time.

सभापति महोदय : मिस्त्री जी, आपकी पार्टी के ही नौ मैम्बर बोलने वाले और हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : ठीक है सर। मैं दो-चार मिनट ज्यादा ले लेता हूं। This Bill allows individual initiatives.

इसकी वजह से, मायनारिटी ग्रुप के अंदर, जो लोग रैड टेपिज्म की वजह से, दूसरी वजहों से इंस्टीट्यूशन्स नहीं चलाना चाहते थे, वे लोग खुद आगे आकर अपनी कम्युनिटी के उत्थान के लिए ट्रस्ट बनाएंगे और कम्युनिटी को मदद करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि उनके जो कैरेस्टरिस्टिक्स हैं, वे उनको खुद प्रिजर्व कर सकेंगे। इसमें उनकी चायस भी दी गई है। इन चायसेस की वजह से जो चीज वापस उनके पास जानी चाहिए, वह जाएगी। उसकी वजह से पूरी मायनॉरिटी कम्युनिटी मैन स्ट्रीम में आएगी और वे खुद उसमें मदद करेंगे। They do not talk of assimilation. Why they are opposing this Bill is that they have a design in their minds, the design of "always hate and segregate", as if all the problems of this country are because of the minorities. That is the ideology they are pursuing. That is why they are opposing this Bill. They have nothing else in their mind.

इसकी वजह से संविधान का खुलासा दिया है। संविधान की आज की परिस्थिति बहुत बदल गई है। 1950 में जब नेहरू जी ने यह कहा, तो उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी, जैसी आज है। ऐसे लोग भी उस समय नहीं थे, जैसे आज हैं। इस सरकार से पूर्व जो एजूकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने जिस प्रकार से चुन-चुन कर कानूनों में अमेंडमेंट किए, सिलेबस चेंज किए, उससे सारी परिस्थिति बदल गई और उसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि मायनॉरिटी वाले दब गए। इस बिल से वे अपने आप अपनी तरक्की का रास्ता सोच सकेंगे। इसलिए इस बात का हवाला देना मेरे ख्याल से कतई अच्छा नहीं होगा कि इसे न किया जाए।

सर, मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ एफीलिएशन का ही प्रावधान नहीं बल्कि और प्रावधान भी करिए। यदि वे कहते हैं कि हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी चाहिए, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी दीजिए। इतना ही नहीं यदि वे अपने स्कूल इत्यादि खोलना चाहें, तो मेरी गुजारिश है कि उन्हें वैसा करने की परमीशन भी दी जाए। इससे उनके विकास के रास्ते खुलेंगे। If they want a separate registration, let there be a separate registration. I do not think we should have any hesitation in doing that.

17.00 hrs.

आप जो उनके लिए सैकिंड सिटिजंस के दर्जे के बारे में सोच रहे हैं, वे भी इस देश के नागरिक हैं। वे भी यहां पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी पीली नज़र के चश्मे से मत देखिए। मैं विनती करता हूं कि आप अपना पीला चश्मा उतारें। आप महाराट्र में हार गए हैं, गुजरात में छ: सीटों की जगह 12 सीटें हुईं और अब दूसरे राज्यों में, बिहार और अन्य जगह, जहां इनके इलैक्शन होने वाले हैं, वहां भी इनके सुपड़े साफ हो जाएंगे। ये लोग सामने बैठने योग्य भी नहीं रहेंगे। इसलिए ये अपना पीले चश्मे वाला नज़रिया बदलें। पूरे देश के अंदर इनका जो भगवा कलर है, उन्हें हम नमन करते हैं। हम इस भगवा कलर को इसलिए नमन करते हैं, क्योंकि वह त्याग की निशानी है। उसके अंदर त्याग और प्रेम है, आदमी के प्रति भाईचारे की भावना है, उसके अंदर नफरत एवं तिरस्कार नहीं है।

महोदय, इनके यहां जो लोग भगवे कलर के कपड़े पहन कर बैठे हुए हैं, वे अगर पूरे देश में आग लगाने का काम करते हैं तो उन्हें ऐसे कपड़े पहनने का कोई अधिकार हिन्दू धर्म में नहीं है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

DR. SEBASTIAN PAUL (ERNAKULAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in this important discussion.

Sir, the Bill for the formation of a National Commission for Minority Educational Institutions is yet another step in the positive direction taken by the UPA Government in implementing the directive principles contained in the National Common Minimum Programme.

Perhaps, at the initial stage, there was a doubt about the constitutional validity of such an enactment. The National Common Minimum Programme foresaw the necessity of a constitutional amendment before legislating in an area which is included in the Concurrent List. Now, at this stage, I am not going into the constitutional sanctity of the present legislation. But I am concerned with the detection of several grey areas in the proposed legislation.

As the hon. Prime Minister pointed out in his July 3rd inaugural address to the meeting on minority welfare and education, education is empowerment. The establishment of a statutory Commission as an autonomous body for governing the affairs of minority educational institutions is in tune with the Government's proclaimed policy of

affirmative action. On the face of it, it is noble in intent but will the provision for direct affiliation of such institutions with Central Universities fulfil the cherished goal of empowerment of minorities? That is the question which we should address at this stage.

Minority interest has become a vested interest. Educational institutions, established and administered under the protection of Article 30 (1), are in reality, catering to the needs of affluent non-minorities as well as those belonging to the minority communities if they are capable enough to pay the amount demanded by the private managements. Starting from the famous Unnikrishnan case, a series of Supreme Court judgements have time and again pointed out that there cannot be any profiteering or capitation fee in any self-financing professional colleges.

But inconsistency and confusion still persist. The judgement in the Pai Foundation case and the clarificatory judgement in the Islamic Academy case have resulted in the acceptance of the concept of free enterprise in education and permitted market forces to intervene in an unprecedented manner in the field of professional education.

The greatest flaw of the present Bill is its failure to bring private self-financing institutions under strict social control to ensure social justice and equity in the realm of professional education.

Clause 2 (b) of the Bill permits even a person − I repeat, a person − to establish and maintain a minority educational institution. This is indeed a very dangerous provision. A trader in education, whether belonging to the minority or not, can assume the position of minority, if necessary through a benami, and claim minority status. Such individuals are seen everywhere. At least social control within the community should be assured by eliminating individual operators. Several names can be mentioned here, but for the sake of propriety I am not mentioning any individual name. But from the experience in my State, Kerala, I can say that there are institutions run by minorities, organisations of minorities like the Muslim Education Society or several colleges and teaching institutions run by Christian organisations, where there is an effective in built system of accountability, answerability and responsibility which will be absent in the case of individual operators in the field of education.

The need of the hour is not affiliation of educational institutions, but prevention of commercialisation of education. The Bill is intended to take away whatever little control the States have on these institutions by bringing them under the protective umbrella of Central Universities.

Rather than addressing crucial issues such as merit-based admissions, common entrance tests and the UGC's role in faculty appointments, the Bill is encouraging institutions run in the name of minorities to have a free hand in their administration. This will definitely open a Pandora's box resulting in the mushrooming of private professional institutions.

As per the Constitutional provisions, a minority is both religious and linguistic. This would create problems in identifying such institutions. All sorts of people will come into the fray, claiming privilege under the law, because a Central University degree will have a better market value. It will also help the so-called minority-run institutions to secure greater Central support. But at the same time, it will go against the spirit of federalism.

The minorities, as per the Bill, will be identified by the Central Government. In this context, I would request the hon. Minister to provide as much leeway as possible to accommodate and entertain the opinion or recommendation of the State Governments in this regard.

Another point is, by definition, a college means any teaching institution, not a professional college alone. I am envisaging a scenario where all the teaching institutions run by minorities, by affiliation, coming under Central Universities, making existing universities in many parts of the country redundant.

The minority captains may now welcome this legislation, but think of a situation where a particular State becoming minority-friendly and the Centre hostile to minorities. It is not an impossible situation.

The constitution of the Commission itself is unwarranted or rather against the spirit of the Constitution. Let the members of the minority communities be appointed as members. But it is derogatory to say that the chairperson, who will be a retired High Court Judge, should also be one belonging to a minority community. The minorities alone do not protect the minorities; the good sense of the majority is the greatest bulwark in the protection of minority interests.

The Bill is intended to protect and enlarge the vested interests of the alleged and assumed leaders of the minorities, not the interests of members of the minority communities. What is urgently needed is to free education from the dangerous clutches of the powerful education mafia. The fundamental right to education should be upheld. The haste - I am not using the word ugly haste - in which the Ordinance was promulgated just on the eve of the Parliament Session creates suspicion.

It will be desirable if the Government is prepared to refer the Bill for the scrutiny of the Standing Committee because of the known and unknown ramifications. In the meantime, the Government may think of a legislation, controlling the procedure for admission and fixation of fee so that the fundamental right to education may become a reality for the poor but meritorious sections of the society.

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन कुछ उलाहना के साथ। 3 जुलाई को जहां से इस विधेयक के अध्यादेश की उत्पत्ति हुई, माननीय मंत्री जी ने एक सम्मेलन बुलाया लेकिन जाने या अनजाने, जिस पार्टी के लोक सभा और राज्य सभा में कुल मिलाकर 50 सांसद हैं, उन्हें काट दिया गया।â€¦ (व्यवधान)श्रेय लेकर भी अच्छा काम कर दें तो बधाई देनी चाहिए। हमें श्रेय न मिले लेकिन अल्पसंख्यकों का कल्याण हो तो भी हमें बहुत खुशी होगी। आलोचना की गई कि यह विधेयक संविधान मे प्रदत्त अनुच्छेद 30 का उल्लंघन करता है लेकिन बात इसके उलट है। उस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति, अपनी परम्परा, अपनी शिक्षा का इंतजाम करने का जो दायित्व दिया गया है, उसकी हिफाजत और रखवाली के लिए कोई सेफगार्ड इस देश में नहीं है। यह कमीशन उस सेफगार्ड की कमी को पूरा करेगा। इस पूरे विधेयक की जो आत्मा है, धारा 11 और 12, जिसकी निन्दा हमारे मित्र श्री रावत ने की, उसकी आत्मा यही है। यह बात सही है कि किसी भी डीम्ड यूनीवर्सिटी की मान्यता का आधार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तैयार करता है। इस तरह की टैक्नीकल ऐजूकेशन से संबंधित जितनी संस्थाएं हैं, उनकी मान्यता भारत सरकार से, टेक्नीकल बोर्ड से मिलती है। लेकिन उन्हें भी किसी न किसी विश वविद्यालय से अपनी मान्यता हासिल करनी पड़ती है। यह विधेयक, जो टेक्नीकल बोर्ड का अधिकार है, यूजीसी का अधिकार है, उसे छीनता नहीं है, अदर दैन यूनी वर्सिटी ऐफीलिएशन की बात इसमें कही गई है और उन्हीं विश्वविद्यालयों से ऐफीलिएशन देने की बात कही गई है जो केन्द्र सरकार द्वारा सौ प्रतिशत फंडेड इंस्टीट्यूशन्स हैं। उनको ही इस शैडयूल में रखा गया है। इसलिए इस मामले में श्री रावत की आपत्ति बहुत तार्किक नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। जहां तक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार है, आप जानते हैं कि भारत सरकार ने पहले अलीगढ़ विश्वविद्यालय का जो विधेयक पेश किया था, इसी संसद ने उसका अल्पसंख्यक स्टेटस समाप्त कर दिया था। उसके लिए पूरे समाज को, पूरे समुदाय को संघर्ा करना पड़ा और बहुत संघर्ा के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक कैरेक्टर या स्टेटस बहाल करने का काम इस संसद में किया गया।

मैं उत्तर प्रदेश की बात जानता हूं। जो अल्पसंख्यक संस्थाओं का स्टेटस बनाने वाली कमेटी है, उसकी लगातार छह र्वा से कोई बैठक नहीं हुई। ढाई सौ संस्थाओं के अल्पसंख्यक चरित्र पर दरख्वास्त देकर, छह साल से हम इस इंतजार में थे कि कमेटी की बैठक हो और हमें अल्पसंख्यक स्टेटस देकर अपनी संस्था चलाने का अधिकार मिले। सात र्वा के बाद जब हम लोगो की सरकार आई तो दस महीने के भीतर उन सभी संस्थाओं को डिस्पोजल करके उनका जो अल्पसंख्यक स्वरूप था, उसे बहाल किया गया। उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने दो बार मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक पास कर दिया लेकिन पास करने के बा वजूद वहां के राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में कितनी दुश्वारियां हैं, उनके सामने कितने अ वरोध हैं, और कैसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं। इन अल्पसंख्यकों को भारत के संविधान में अपनी शिक्षा, संस्कृति, परम्परा, भााा के विस्तार और उसके अनुसरण के जो अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों को आगे बढ़ाने में बहुत सी बाधाएं पैदा होती हैं। भारत का संविधान, कानून के समक्ष सबको समता का अधिकार देता है। हमारे संविधान ने सबको बराबर समझा है लेकिन जो कमजोर और अल्पसंख्यक हैं, उनके हित संवर्धन के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें अलग से कार्यवाही कर सकती हैं, इसका प्रावधान भी हमारे संविधान में है। यह विधेयक उसी अधिकार के तहत आया है। इसलिए हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं और विश्वास करते हैं कि हमारे मित्रों ने जो अभी मैंने भााण सुनें, श्री बची सिंह रावत जी की आपत्ति विधेयक से नहीं है, लेकिन यह विधेयक जिस रूप में पेश किया गया है, संभ वतः उनकी आपत्ति उस रूप से है। वह इसे अध्यादेश के रूप में नहीं चाहते थे। हमारे सीपीएम के मित्र की बात से जो भााा ध्वनित हुई, वह भी इसे इस रूप में नहीं चाहते थे। वह चाहते थे और हमारे मित्र भी चाहते हैं कि किसी संसदीय समिति के सामने यह विधेयक की शक्ल में आता जिससे इसमें उनका योगदान भी समाहित हो जाता।

मैं अपेक्षा करूंगा कि जो इनकी प्रक्रिया संबंधी आपत्ति है, उस आपत्ति को आप वापस लेंगे और इस विधेयक को संसंद में सर्वसम्मति से पेश करके, ऐतिहासिक निर्णय लेकर अपने को भी भागीदार बनायेंगे। ऐसी मैं अपेक्षा करते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि सभी पक्ष हमारे इस विधेयक को पास करेंगे जिससे ऐसा संदेश जाये और हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, कम से कम अब इनके सहयोगी बनें। जो हमारे अकाली दल के साथी हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करें। माइनोरिटी के मायने, अल्पसंख्यक के मायने को लेकर हमेशा इनके अंदर दोा पैदा होता है। अल्पसंख्यक का अर्थ ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक मायने सिर्फ मुसलमान होता है। अल्पसंख्यकों की बहुत सारी कोटियां हैं जो हमारे संविधान में दी गयी हैं और यह विधेयक भी कहता है कि संविधान में जो अल्पसंख्यक की कसौटी निर्धारित की गयी है, उसी कसौटी के आधार पर अल्पसंख्यक संस्था के सामने जो दुश्वारी है , उस दुश्वारी की निगरानी यह आयोग करे और इन विश्व ि वद्यालयों और उन संस्थाओं के बीच में कोई भी विवाद हो तो

उस विवाद का निपटारा करने के लिए भारत सरकार को संस्तुति यह कमीशन करेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत ही बुद्धि और विवेक सम्मत यह विधेयक है, इसलिए इस विधेयक को हम सबको समर्थन करना चाहिए।

श्री विजय कृण (बाढ़) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय सदस्य श्री बची सिंह रावत ने जिन आशंकाओं को उठाया है और माननीय सांसद श्री मोहन सिंह ने कहा है, खासकर मोहन सिंह जी की बातों से मैं पूर्ण सहमति व्यक्त करता हूं। मैं प्रधान मंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का ह्रदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो वादा किया गया था, जो बातें कही गईं थीं, उसको अध्यादेश और फिर बिल की शकल में यहां लाने का काम किया है। संविधान की 30 और 31 धारा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करती है, संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती है, यह बात सही है। लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए और जो व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, खासकर अल्पसंख्यक संस्थाओं के एफिलिएशन के मामले में, उनको दूर करने के लिए, अल्पसंख्यकों के हितों में बढ़ाया गया यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसलिए मैं इस सदन से अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग सर्व सम्मति से इस बिल को पास करने का काम करेंगे।

मैं देखता रहा हूं कि चाहे बंग्लादेश से घुसपैठ का सवाल हो, चाहे मदरसा का सवाल हो, चाहे उर्दू का सवाल हो, जैसे ही किसी न किसी रूप में अल्पसंख्यकों के मसले सामने आते हैं, एक अजीब तरह के विरोध का स्वर इस सदन में दिखने लगता है। इस देश की एकता और अखंडता के लिए तथा इस देश में एक समरस समाज बनाने के लिए, भारत को एके नये स्वरूप में आगे बढ़ाने के लिए यह विरोध एक खतरनाक स्थिति है।

इसलिए हम सदन के दूसरे पक्ष के सदस्यों से कहना चाहते हैं कि जब इन बातों को आप कहते हैं तो आप देखें कि इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, वह इस दिशा में क्या सोचता है, आपके बारे में क्या राय बनाता है। मैं खासकर इन बातों के लिए आग्रह करना चाहता हूं। अल्पसंख्यक की जिन संस्थाओं को व्यावहारिक कठिनाइयां एफिलिएशन लेने में होती हैं, मानसिकता के कारण एफिलिएशन नहीं मिलता है, नियम-कानून-कायदे के कारण नहीं है लेकिन हमारी मानसिकता है कि हमें नहीं देनी है। कुछ लोगों ने दिमाग बनाया हुआ है। पिछली सरकार में देखने का मौका मिला। ऐसा ही एक मामला था। एक डीम्ड यूनि वर्सिटी के संबंध में था और दो साल तक वह फाइल प्रधान मंत्री सचिवालय में पड़ी रही। आखिर में उच्चतम न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ये बातें आईं। अल्पसंख्यक भाइयों को जो व्यावहारिक दिक्कतें, कठिनाइयां आई हैं, उनको दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसको सदन में हर तरफ का सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए, यह बहुत क्रांतिकारी कदम है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो संस्थाओं को

सेफगार्ड देने की दिशा में कमीशन को जो ज्यूडिशिअल अधिकार दिये गये हैं, वह बहुत बड़ा कदम है। यदि आप ज्यूडिशिअल अधिकार इनको नहीं देते तो यह कमीशन बेमानी हो जाता। आपने ज्यूडिशिअल अधिकार दिये हैं। विवाद की स्थिति यदि कोई पैदा हो तो वैसी स्थिति में इसको आपने हथियार से लैस किया है। इसको ताकत दी है, इसके लिए भी हम शिक्षा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस विधेयक को इस सदन का पूरा समर्थन मिलेगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं 6 विश्वविद्यालय के बारे में यहां चर्चा की गई, मोहन सिंह जी ने की। इसका प्रावधान आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, हम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस दिशा में वह आगे कदम बढ़ाएंगे। एक आशंका जो आम तौर पर है कि जो व्यवसायिक संस्थाएं हैं, जो शिक्षा माफिया है, वह भी ऐसे बिलों की आड. में खडा रहता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो शिक्षा माफिया है, वह इसी की आड़ में कोई लाभ न उठा ले, यह आशंका सदन के कुछ सदस्यों के मन में होगी, मेरे मन में भी है। इसलिए सरकार के समर्थक होने के बावजूद मैं आपसे अपील करूंगा कि वैसे सारे होल्स को आप बंद करने का काम करेंगे।

ताकि ऐसा न हो कि जहां सरकार की अनुकूलता है, जो सेक्यूलर गवर्नमेंट है, जहां संस्थाएं मान्यताएं ले रही हैं, उनको मान्यता मिल रही है और किन्हीं कारणों से जो मान्यता प्राप्त करने लायक संस्थाएं नहीं हैं, मान लो वैस्ट बंगाल या बिहार या त्रिपुरा में हैं, वे कहें कि हमें यहां सूट नहीं करता, हम दूसरी जगह से लेंगे, हम नियम-कायदों का पालन करते हैं या नहीं, हमें तो कोई रास्ता मिलना चाहिए। इसलिए उनको रास्ता मिलने का रास्ता इस बिल के द्वारा नहीं मिलना चाहिए, यह मेरा अनुरोध है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्रांतिकारी विधेयक का जो अल्पसंख्यकों के हित में है, समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं सदन से और खासकर दूसरे पक्ष के साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे खुले ह्रदय से इसका समर्थन करने का काम करें। जिससे भारत जो एकता और अखंडता की दिशा में चलने का तेज प्रयास कर रहा है, उसमें आगे बढ़े और हम एक नई ताकत और जोश के साथ दुनिया में आगे बढ़ सकें।

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। 11 नवम्बर को यह अध्यादेश जारी किया गया है। 1 दिसम्बर से संसद का सत्र शुरू होने वाला था, तो मात्र 20 दिन पूर्व ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाता कि आप 20 दिन लोक सभा का इंतजार नहीं कर सकते थे। 11 नवम्बर को अध्यादेश जारी हुआ और 26 नवम्बर को उसका नोटिफिकेशन हुआ यानी लोक सभा के शुरू होने से चार पहले आपने नोटिफिकेशन किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने विज्ञान भवन में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें प्रधान मंत्री जी भी मौजूद थे। प्रधान मंत्री जी ने अपने भाण में कहा,

> "I am distressed by the low representation of minorities particularly the Muslim minority in many walks of life both in the public and the private sector."

उन्होंने इसी बात पर दुख प्रकट किया कि इतने वर्षों के बाद भी सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कम है। मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 45 साल तो राज आप ही लोगों ने किया है। जिनके दम पर राज किया, अगर 45 साल या 50 साल के बाद भी उनका प्रतिनिधित्व कम है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब आपको देना चाहिए ? हम लोग तो केवल छः साल तक ही शासन में रहे हैं।

सभापति महोदय, जिस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, उसके अंदर आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव को नहीं बुलाया गया। जब शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया कि समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं बुलाया तो उन्होंने उत्तर दिया, "because it is not a national Party." जबकि जे.एम.एम. के नेताओं को बुलाया गया था। मायावती जो की बुलाया गया, लेकिन वह नहीं गईं। बीजेपी को बुलाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बिल के पीछे राजनीति है। यह बिल अल्पसंख्यकों के हित केलिए नहीं है, उल्टे यह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के विरूद्ध है। मुझे लगता है कि जब वहां कांफ्रेंस हो रही थी, शिक्षा मंत्री जी बताएंगे, अखबारों में छपा है,

> "The representatives of *Darul-ul-Deobund* and *Dar-Ul-Nadwakul-Ulum* said the idea of Government-imposed Commission was not acceptable to them."

यानी जो देश की सर्वोच्च मुस्लिम संस्थाएं हैं, उन लोगों ने उस सम्मेलन में भाग लेते हुए कहा कि हमारे ऊपर यह थोपा जा रहा है, इस प्रकार का कमीशन हमें स्वीकार्य नहीं है। मुझे लगता है, मैं बहुत छोटा हूं और इस सदन में पहली बार आया हूं, कांग्रेस पार्टी के भीतर का जो सत्ता संर्घा है, वह इसके द्वारा सामने आया है। वह यह है कि मैं प्रधान मंत्री नहीं बनाया गया, तो भी मैं प्रधान मंत्री से ज्यादा ताकतवर हूं, मैं पैरेलल सेक्टर हूं इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।â€¦ (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिए, बीच में व्यवधान न डालें। कृपया इन्हें बोलने दें।

श्री सुशील कुमार मोदी : जैसा मैंने कहा कि यह बिल अल्पसंख्यक समुदाय के हित में नहीं, बल्कि उनको नुकसान पहुंचाने वाला साबित होगा। वह कैसे होगा, यह मैं आगे बताऊंगा।

सभापति महोदय, इन्होंने जो इसके फंक्शन्स लिखे हैं, एम्स लिखे हैं "to advise the Central Government on any question relating to the education of minorities." मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो अल्पसंख्यक आयोग है, क्या वह इस काम को नहीं कर रहा था, क्या उससे यह काम नहीं हो सकता था। आपने लिखा है कि "to advise the Central Government or any State Government on any question relating to the education of minorities." That may be referred to the Minorities Commission. यह काम तो अल्पसंख्यक आयोग भी कर रहा था। आपने लिखा है कि अगर कोई स्पैसिफिक शिकायत मिलती है, about violation of rights of minorities to establish an educational institution यानि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अगर कोई शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने में उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए आयोग है। यह काम तो अल्पसंख्यक आयोग भी कर रहा था। ऐसी स्थिति में किसी कमीशन के बनाने का क्या औचित्य है और इसके पीछे शुद्ध राजनीति दिखाई पड़ती है। आज एक गलतफहमी लोगों में पैदा हो रही है कि इस कमीशन के द्वारा देश भर के तमाम अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता मिलने वाली है। लेकिन 95 प्रतिशत जो शैक्षिक संस्थान हैं वह प्राइमरी लेवल पर हैं, सैकिंडरी लेवल पर हैं। इनका तो उससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे िवद्यालयों का क्या होगा? आप तो शिक्षा मंत्री हैं। अगर कोई अल्पसंख्यक विद्यालय कहे कि हमें सीबीएसई से एफिलिएशन चाहिए तो क्या आपने इस बिल में उसका प्रावधान किया है। आपने केवल एक प्रतिशत हायर एजुकेशन के लिए ही प्रावधान किया है। हायर एजुकेशन में भी अल्पसंख्यक संस्थाएं कितनी हैं? केवल एक प्रतिशत अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए आप यह बिल लाए हैं और 99 प्रतिशत मदरसे, जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, उनके लिए न कोई गारंटी और न कोई प्रावधान आपने इसमें किया है। â€¦ (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : No interruption please.

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : आप अमेंडमेंट लाइये, हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

SHRI SUSHIL KUMAR MODI : It is a flaw, it is an illusion.

इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप धोखा दे रहे हैं और एक प्रतिशत जो हायर एजुकेशन की संस्थाएं हैं, प्रोफैशनल संस्थाएं हैं, उनके लिए ही करने का प्रयास कर रहे हैं। सभापति महोदय, भारत के संविधान के आर्टिकल 30 (1)के अंदर लिखा है कि :

> "All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice."

भारत के संविधान ने अल्पसंख्यक समुदाय को तीन अधिकार दिये हैं। The right to establish educational institution, the right to administer. उनको अपनी संस्थाओं की स्थापना का मूल अधिकार दिया है। आप उसका संचालन कर सकते हैं। संविधान ने तीसरा अधिकार जो उन्हें दिया है वह है, the right to determine the nature of their educational institutions of their own choice. अपनी इच्छा से शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। लेकिन आपने संविधान में संशोधन करके एक चौथा अधिकार दे दिया यानि राइट टू एफिलिएशन का अधिकार, केवल स्थापना करने का नहीं, केवल चोइस का नहीं, राइट टू एफिलिएशन का और यह कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। जब तक आप संविधान में संशोधन नहीं करेंगे और फंडामेंटली जब तक आप राइट टू एफिलिएशन का अधिकार नहीं देते हैं। प्रारम्भ के दिनों में जो अखबारों में समाचार आए वे यही थे कि संविधान में संशोधन आप करने की तैयारी कर रहे हैं। बाद में आप धीरे से एक बिल ले आए और आपने जो राइट टू एफिलिएशन का अधिकार दिया है, यह कल कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। आपको अधिकार नहीं है कि किसी बिल को लाकर आप इसके माध्यम से अधिकार दे सकें।

17.34 hrs (Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

सभापति महोदय, सबसे आश्चर्य की बात जो मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा, वह यह है कि अभी कितनी अल्पसंख्यक संस्थाएं ऐसी हैं जिनको मान्यता से नकार दिया गया। आप कल उत्तर देंगे तो बताएंगे कि 1000, 500 या 200 कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको कि विश्वविद्यालय से मान्यता नहीं मिली है। अगर सभी संस्थाओं को विश्वविद्यालों से मान्यता मिल रही है तो अलग से कमीशन बनाने की क्या आवश्यकता थी? â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please, no running commentary in the House.

श्री सुशील कुमार मोदी : अगर कोई संस्थान यूजीसी की शर्तों को पूरा नहीं करता है, कोई संस्थान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की शर्तों को पूरा नहीं करता है, कोई संस्थान एआईसीटी की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो क्या उस संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान करने का अधिकार दिया है? â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Interruptions are not to be recorded.

*(Interruptions)**

*Not Recorded.

श्री सुशील कुमार मोदी : मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अगर मेडिकल कॉलेज खोलेगा लेकिन जब तक उसे मान्यता प्रदान नहीं होगी तो विश्वविद्यालय उसे एफिलिएशन नहीं दे सकता। अगर देगा तो उसकी डिग्री को मान्यता नहीं मिलेगी। पढ़ने से ऐसा लगता है कि आपने एआईसीटी, मेडिकल कॉउंसिल ऑफ इंडिया, डैंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के अधिकारों को एब्रीगेट करके एक कमीशन बना दिया। 6 विश्वविद्यालय कौन से हैं? नागालैंड का विश्वविद्यालय, मिजोराम का विश्वविद्यालय लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू का जिक्र नहीं किया। जिन 6 विश्वविद्यालयों से एफीलिएशन देंगे उनमें से 4 विश्वविद्यालय नॉर्थ ईस्ट के हैं - नेहरू, असम विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय, मिजोराम विश्वविद्यालय। पटना, सीवान या धनबाद का विश्वविद्यालय क्यों मिजोराम के अन्दर जाकर एफिलिएशन लेना चाहेगा? उत्तर भारत में एक दिल्ली विश्वविद्यालय है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिनियम को देख रहा था। क्या आपने इसमें संशोधन कर दिया? पिछले 50 सालों में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक भूटान के विश्वविद्यालय को छोड़ कर एक भी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दिया। अगर दिल्ली में विश्वविद्यालय है तो क्या वहां का वी.सी. सुदूर दक्षिण
के किसी कॉलेज का नियंत्रण कर पाएगा? अगर गया में कोई कॉलेज खुलता है और वह असम से एफिलिएशन लेता है तो वहां के प्रिंसिपल को हर काम के लिए बार-बार असम जाना पड़ेगा। परीक्षा वहां से होगी। इस प्रकार ऐसे 6 मृतप्रायः विश्वविद्यालयों के नाम दे दिए हैं। क्या कोई भी आदमी पटना विश्वविद्यालय का शिक्षण स्वीकार करेगा बजाय मिजोराम विश्वविद्यालय के, या नागालैंड विश्वविद्यालय के या असम विश्वविद्यालय के? आपको यूजीसी की शर्तों को स्पट करना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमैंट पढ़ना चाहूंगा।

> "The consistent view of the Supreme Court has been that there is no fundamental right of a minority institution to affiliation or recognition ."

किसी भी संस्था को केवल अल्पसंख्यक संस्था के आधार पर किसी और जगह से एफीलिएशन का अधिकार नहीं मिल जाता है?

> "The educational institutions established by the minorities cannot compel the States to recognise them. If they fail to follow the statutory measures regulating educational standards and efficiency, the prescribed courses of study and instructions â€¦â€¦."

मैं जानना चाहता हूं कि एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए किसी को 50 एकड़ जमीन चाहिए, शिक्षक चाहिए, बिल्डिंग चाहिए लेकिन वह मेडिकल काउंसिल, इंजीनियरिंग क़ॉलेज या सामान्य कॉलेज की शर्तों को पूरा नहीं करता है, कमीशन के द्वारा मान्यता मिलने पर क्या उनको एफीलिएशन मिलेगा? यह आप तय कीजिए या यूजीसी को खत्म कर दीजिए लेकिन आप दोनों को रखे हैं, ऐसा करके भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार के कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने पहले कहा कि अगर इसके लिए व्यवस्था करनी थी तो कौन-कौन से ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिन को एफीलिएशन में कठिनाई आ रही है? आप उनकी कठिनाई दूर करते हुए उन्हें एफीलिएशन दिलाइए। हम इसके विरोधी नहीं है। देश में अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय खुले है। बीजेपी के शासन काल में हमने किसी संस्थान को बंद नहीं किया लेकिन एक नाटक किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। आपने किया कुछ नहीं लेकिन ऐसी हवा बनायी जा रही है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत बडे क्रातिकारी कदम उठा रहे हैं। उनका इससे क्या हित होने वाला है?

श्री बची सिंह जी ने जिस बात का जिक्र किया, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। माइनॉरिटी का मतलब केवल धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है। ....(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please, no running commentary in the House.

श्री सुशील कुमार मोदी : अल्पसंख्यकों में भाााय़ी अल्पसंख्य़क भी हैं। मैं जानता हूं कि दिल्ली में 30 से ज्यादा तेलगू या उड़ीया समाज के लोग इकट्ठे हो जाएं तो एक संस्था खोल लेंगे और कहेंगे कि यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, हमें एफिलिएशन दीजिए। वास्तव में जो अल्पसंख्यक भाायी संस्थाएं हैं वे बेचारी पीछे रह जाएंगी। जो पेशेवर संस्थाएं हैं, वे सैकड़ों की संख्या में एन.सी.आर. रीजन में काम कर रही हैं और अल्पसंख्यक विद्यालय के नाम पर अधिकतम लाभ वैसे ही लोगों ने उठाया है। अल्पसंख्यक समुदाय को अपने में सम्मिलित कराने के लिए एक होड़ मची है और इसका लाभ वास्तविक अल्पसंख्यकों को न मिलकर इस तरह की संस्थाओं को मिलने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब से आप शिक्षा मंत्री बने हैं, आपने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खुश करने का ठेका ले लिया है। आज जो सारे प्रयास हो रहे हैं, वे इस तरफ इशारा करते हैं। पचास साल से अगर उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति खराब है तो मंत्री जी इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप सरकार में लगातार बड़े पदों पर थे। पचास सालों में आपने उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को ठीक करने के लिए कोई प्र यास नहीं किया और आज एक बार फिर से आप अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को धोखा देने और उन्हें छलने का काम कर रहे हैं। आपने उन्हें कुछ भी नहीं दिया है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि यह बिल न तो देश के हित में हैं और न अल्पसंख्यकों के हित में हैं, इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, I give the floor to Shri R.L. Jalappa. There are 22 more speakers, and I would request you to be very brief.

SHRI R.L. JALAPPA (CHIKBALLAPUR): Thank you very much for having given me an opportunity to speak on this Bill.

At the outset, I would like to congratulate the hon. Minister for bringing forward this Bill. The hon. Minister, after taking charge of this Ministry, has been very active and, in the educational field, he has brought several changes. He has undone so many things which were done by the previous NDA Government. This Bill is not going to achieve everything that the minorities want. In a way, it supports articles 29 and 30. This is a channel through which the minorities could get quick relief. That is why, I welcome this Bill.

Sir, the Government should be careful because in the name of minorities, especially linguistic minorities, some individuals opened institutions and are claiming all the benefits that are given to the minorities. For example, a Telugu speaking man or a Tamil speaking man or a Kannada speaking man can go and open their institutions in neighbouring States by claiming this minority status and thereby get all the benefits, which the Supreme Court has recently bestowed on them.

When I am talking about the minority institutions, I am talking especially about the professional institutions. These institutions can give away 50 per cent of the seats to their community people or to those people who speak Kannada, Marathi or any other language without holding any examination or *inter se* merit. The other 50 per cent, they can offer to people belonging to other communities or to other associations. If they have formed an association, they can hold an examination for selecting the candidates. Whenever such institutions are being recognised, the Government should have some control over such institutions or else, there will be a mushrooming of such institutions and the students will be put to a lot of inconvenience.

Last week, last Tuesday, while replying to Question No. 86, the hon. Minister had stated that nearly 34 foreign universities had approached AICTE and that the proposals were pending with the AICTE. As far as I know, the Government cannot bring so many legislation to prevent such institutions from coming into the country. It is not possible under the WTO.

So, we will have to face a lot of challenges when those institutes get into our country. To meet those challenges, we must prepare our universities, our colleges to offer education of excellence. This is another way of encouraging the minority institutions to become stronger so that they can meet the challenge of the foreign universities. Not only the minority institutions, other institutions should also be geared up to meet the challenges of the foreign universities.

In the CMP of our Government it was clearly stated that autonomy of the institutions of higher education and that of professional education institutions would be restored. I do not think an iota of effort has been made to restore the autonomy of these institutions, excepting IIMs. I request the hon. Minister to see for himself what autonomy these private institutions are enjoying. Thousands of crores of rupees have been invested in these private professional educational institutions − be it medical, dental or engineering institutions.

In my own State Karnataka, more than Rs.3000 crore are invested. Not a single paisa is given by the Government, not a single paisa is invested by the Government. What is the autonomy they are enjoying? The institutions cannot give five seats to anybody they like. Some Committee is there to fix the fee; some Committee is there to oversee the examinations; and the Government has its own CET. Seat sharing is done by the State Governments. What is left for these professional institutions? Except providing infrastructure, buildings, teaching staff and looking after the student welfare, not a single right they are enjoying. They have got all the duties cast upon them. Do you call this autonomy? How long could this go on? How long can such institutions survive like this? I urge upon the hon. Minister who is really intending to improve the quality of education of our country to look into this aspect.

Thousands of our students who have taken medical and engineering degrees are now serving in the foreign countries. Most of them are from the private colleges. Such being the case, you cannot shackle them with so many restrictions. I urge upon the hon. Minister to give greater autonomy to these institutions.

Lastly, minority institutions are fully taken care of. Neither the institutions of Scheduled Castes are taken care of nor the institutions belonging to backward classes are taken care of. Unfortunately, there is a saying which applies well to the position of institutions of backward classes, that is, '*dhobi ka kutta, na ghar ka na ghaat ka'*. This is the position of backward classes institutions. I, therefore, urge upon the hon. Minister to do something for the backward classes institutions also.

With these words, I support the Bill wholeheartedly.

श्री इलियास आज़मी (शाहाबाद) : शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पाँच मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्री इलियास आज़मी : मैं तो अकेला अपनी पार्टी से बोलने वाला हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो मैं जानता हूँ।

श्री इलियास आज़मी : यहां तो मैम्बर्स 25 मिनट और आधे घंटे तक बोले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो मैं जानता हूँ। साढ़े छः बजे मुझे खत्म करना है।

श्री इलियास आज़मी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारी मन से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए ख़ड़ा हुआ हूं। कुछ बहुत अजीब बातें बच्ची सिंह रावत जी ने पेश कीं। मुझे एक बात बड़ी अज़ीब लगी। चूंकि यह राट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का आयोग बनेगा इसलिए इसमें जितने भी होंगे, वे सब अल्पसंख्यक होंगे और देश के 95 प्रतिशत जो दूसरे संस्थान हैं, उनमें कोई अल्पसंख्यक नहीं होगा। इसलिए जो इस आयोग में आएंगे वे सब अल्पसंख्यक ही होंगे और उनकी ही अर्जी मंजूर होगी। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक को वहीं से इंसाफ मिलेगा। अल्पसंख्यक को यहां से भी इंसाफ मिलता है और वहां से भी मिलेगा। इसी प्रकार से बहुसंख्यक को यहां से और वहां से भी इंसाफ मिलेगा। इसलिए जो बात यहां कही गई है वह सचमुच में बचपने जैसी बात को बताती है। उसमें थोड़ी तरमीम कीजिए।

महोदय, मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन्स के लिए आज कोई व्यवस्था नहीं है। आज कानून के अनुसार देश में कोई मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसे मायनॉरिटी ने कायम किया हो, जिसे मायनॉरिटी के लोग चला रहे हों या 10-20 लोग चला रहे हों। मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वह माना जाता है जिसे राज्य सरकार घोाित करे और आज हालत यह है कि किसी भी डिग्री कॉलेज को मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोाित नहीं किया गया है। मैं खुद से बानी हूं। एक बहुत अच्छा मायनॉरिटी डिग्री कॉलेज, जो सच्चे माने में मायनाटरिटी है, लेकिन उसे मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोाित नहीं किया गया। हालांकि उसे एफीलिएशन में कोई दिक्त नहीं हुई। वह इसलिए कि जो नार्म्स हैं, उनसे ज्यादा अच्छा बनाकर मैंने उसके एफीलिएशन की मांग की थी। इसलिए फौरन एफीलिएशन मिल गई।â€¦ (व्यवधान)

महोदय, सवाल यह है, मैं विशेाकर उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा हूं कि वहां कोई हायर एजूकेशन का इंस्टीट्यूशन, मायनॉरिटी घोाित नहीं हुआ है। साढ़े तीन साल एप्लीकेशन दिए हुए हो गए, लेकिन उसे अभी तक मायनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोाित नहीं किया गया है। उसे न रिजैक्ट किया जाता है और न ही स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि रिजैक्ट कर दें, तो हम कोर्ट में चले जाएं। इसलिए उसे रिजैक्ट भी नहीं करते। इस संबंध में मैंने मुख्य मंत्री कार्यालय से भी चिट्ठी भिजवाई, लेकिन न उन्हें और न मुझे, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। â€¦ (व्यवधान)

महोदय, अगर किसी हायर एजूकेशन संस्था को एक साल आवेदन करने के बाद राज्य सरकार से कोई जवाब न आए, तो उसे मान्यता दे दी जाए और वह अल्पसंख्यक घोाित हो जाए, इस प्रकार की कानून में व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यू.जी.सी. के कई प्रॉवजीन ऐसे हैं, मैं उनके बारे में बड़ी सफाई के साथ बताना चाहता हूं कि आज भी ऐसे कानून हैं, जो वाजिब नहीं है, जो प्रैक्टीकल नहीं हैं, जो निहायत अनप्रैक्टीकल हैं। मैं एक ही मिसाल दूंगा। जिस संस्था को बी.एड. क्लॉसेस चलाने की अनुमति मिलती है, उसमें वह टीचर होगा, जो या तो एन.ई.टी. हो या पीएच.डी. हो और उसके साथ एम.ए. भी हो। सैकड़ों और हजारों बी.एड. की संस्थाएं चल रही हैं जिन्हें मजबूर होकर रिटायर्ड लोगों को रखना पड़ रहा है, क्योंकि रिटायर्ड लोगों को रखने का प्रॉवीजन है। यह प्रॉवीजन प्रैक्टीकल नहीं है। नार्म्स भी ऐसे बने हैं जो प्रैक्टीकल नहीं हैं। यू.जी.सी. के नार्म्स सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके कई नार्म ऐसे हैं जिनका किसी को भी फायदा नहीं है। इसलिए मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि वे दो-चार आदमियों की एक कमेटी बनाकर यू.जी.सी. के नार्म्स का परीक्षण कराएं और जो पुराने तथा ठीक नार्म नहीं हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए।

महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक डिग्री कालेज एक टीचर को 30 हजार रुपए देता है और इमदाद-याफ्ता कालेज भी लगभग 25 हजार रुपए देता है, लेकिन इनकी दोहरी शिक्षा नीति अपनाने के कारण, जो निजी कॉलेज हैं वे इतनी तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, चाहे वह अल्पसंख्यक कॉलेज हो या बहुसंख्यक हो, क्योंकि वे इतनी तनख्वाह कहां से लाएं, लेकिन नॉर्म दोनों के सेंम रखे हैं। इसलिए नॉर्म ऐसे होने चाहिए कि 10-12 हजार रुपए महीने से ज्यादा टीचर की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए जिसे सभी कॉलेज वाले दे सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए यू.जी.सी. के नार्म्स प्रेक्टीकल नहीं हैं। एक बात मैं इस बिल के बारे में कहना चाहता हूं कि इस बिल पर जो इधर-उधर से तकरीर हुई हैं, वे एक-दूसरे पर सिर्फ अटेक के रूप में हुई हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि जिस तरह इन्होंने राम को बाजार में खड़े होकर वोटों में कैश किया, लेकिन आरज़ी साबित हुए। उसी तरह अगर गुजरात के मुसलमानों के खून को कांग्रेस भाई हर जगह कैश करते फिरेंगे, हो सकता है कि आपको बेवकूफ बना कर कर लें। मैं कहता हूं कि मर्द की तरह संसद में बोलिए। अगर सन् 2002 के गुजरात का, â€¦*-------* तब मैं मानूंगा कि आप इंसाफ के साथ बात करते हैं। उसी गुजरात में दो बार ऐसा हो चुका है।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नाम निकाल दें।

*---------*Expunged as ordered by the Chair.

श्री इलियास आज़मी : आप बोले हैं, आप हमारे खून को कैश करें, आपके लिए जायज़ है*â€¦*--------* आप सब की बात कीजिए।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले भी कहा है कि नाम नहीं लेने हैं।

â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is not present in the House.

श्री इलियास आज़मी : आपको कुदरत ने चांस दिया है, उस चांस को परमानेंट बनाने का तरीका यही है।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आब्जेक्शनेबल एक्सपंज करने के लिए कहा है।

â€¦ (व्यवधान)

श्री इलियास आज़मी : आप इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे तो ज्यादा दिन राज चलेगा। मुझे खुशी हुई कि पोटा पर बात हो रही थी।â€¦ (व्यवधान)मैंने सब का जवाब दिया। माननीय गृह मंत्री जी ने श्रीकृण कमीशन पर अमल करने का चुनाव घोाणा-पत्र में डाल कर वोट लिया और चुनाव जीत कर आए। वे उनके बारे में बोल कर चले गए, उसका जिक्र नहीं किया। आप इंसाफ का राज कायम कीजिए, यह ज्यादा दिन तक चलेगा और आप ही फायदे में रहेंगे। मैं उस जगह पर पहुंचने वाला नहीं हूं, मैं दिल की गहराई से बात कह रहा हूं कि आपका और इनका फायदा हो सकता है, मेरा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप इंसाफ का राज कायम कीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप सामाजिक इंसाफ कायम कीजिए, अगर टेरेरिज़्म खत्म न हो जाए तो मुझे फांसी पर लटका दीजिए।â€¦ (व्यवधान)अगर आप समाजिक इंसाफ का राज कायम करेंगे तो कोई आदमी ऐसा नहीं जो अपने शरीर पर बम बांध कर आत्महत्या करे।

महोदय, यहां मानव संसाधन विकास मंत्री जी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि इसमें एक तरमीम कर दी जाए कि जिस माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन को राज्य सरकारें एक साल के अंदर उनके आवेदन को रिजेक्ट या मंजूर न करें तो उस इंस्टीट्यूशन को यह राइट हो जाए कि अपने को माइनोरिटी डिक्लेयर कराने के लिए

कमीशन के यहां आए और कमीशन को यह हक हो कि वह देखे, अगर वाकई वह माइनोरिटी के नार्म में आता है तो उसे वह माइनोरिटी डिक्लेयर कर दे। जब कोई इंस्टीट्यूशन माइनोरिटी डिक्लेयर नहीं होगा तो आप कौन से माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए एक्ट ला रहे हैं।â€¦ (व्यवधान)

***---------*Expunged as ordered by the Chair.**

महोदय, आपकी बात का ऐतराम करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मेरी चंद बातें रह गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर हाउस के माननीय सदस्य एग्री करें तो मैं चाहता हूं कि आधे घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है, उसके मुताबिक अभी 21-22 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

â€¦ (व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, बाकी जो माननीय सदस्य बोलने वाले रह गए हैं, उन्हें आप कल बोलने के लिए कहिए।â€¦ (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Today we can sit up to 6.30 p.m. and then we can adjourn the House.

उपाध्यक्ष महोदय : आधे घंटे का समय बढ़ा देते हैं।

â€¦ (व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, 22 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, अभी केवल दो ही माननीय सदस्य बोल पाएंगे, 20 तो बचेंगे ही।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ काम तो निबटेगा।

18.00 hrs

PROF. K.M. KADER MOHIDEEN (VELLORE): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I am very much thankful to you for giving me this opportunity to speak in this august House. I have risen to support the National Commission for Minority Educational Institutions Bill, 2004.

Article 30 of our Constitution gives the fundamental right to every minority community in this country to establish and administer an educational institution of its choice. But the choice of affiliating that institution with any university has been denied until now. That defect which had been in existence for the last more than 60 years is removed and rectified by bringing about this Bill. Therefore, I congratulate and thank the present Government, the hon. Prime Minister, the Education Minister and all the UPA leaders.

It had been the demand of the minority community for a very long time to bring about such a Bill in this House. In Tamil Nadu, Dr. Kalaignar, our great leader of the Democratic Progressive Alliance had made such a demand and passed a resolution to this effect in Villupuram, Virudnagar and Salem Conferences. The National Common Minimum Programme also had guaranteed to bring about this kind of a legislation.

Our beloved Prime Minister has spoken in the United Nations Assembly that a new world order should be based on peace, harmony, coexistence and development. He has in mind that the society in our country also should be based on these four principles -- peace, harmony, coexistence and development. For the development of the minority

communities, such a Bill is very necessary. Therefore, it is a welcome step taken by this Government.

This Bill provides for affiliation of the minority institutions with the Central universities. The Bill itself has scheduled certain universities. But the Supreme Court itself has said that such an affiliation is legal. In the case of St. Xavier *versus* the State of Gujarat in 1974, the hon. Supreme Court has held the view that the 'linguistic minorities can seek affiliation to appropriate bodies outside the State.' This may be regarded as a necessary corollary to the provisions of Article 30. The hon. Court has also said that 'permitting the minority educational institutions to affiliate with appropriate bodies outside the State is not a kind of privilege, but it is to give them a sense of security and a feeling of confidence.' This sense of security and a feeling of confidence to the minorities in this country is offered by bringing about this Bill. Therefore, I once again thank them very much.

Sir, as far as Tamil Nadu is concerned, in Tamil Nadu, the Muslim minority communities and the Urdu-speaking communities have tried to bring about their institutions. But so far, no Muslim teacher training college has been affiliated in our State. No Urdu teaching college has been affiliated in the State. Such a situation is not only prevailing in Tamil Nadu, it may be prevailing in other States of India also.

It is very difficult for the minority community to get affiliation with the universities in the States. This Bill is, therefore, to be welcomed hundred times. It is considered to be a beginning for the rectification of defects and the wrongs that have been followed in the past. I find that the previous Government has been pursuing a policy of estrangement of minorities. But the policy of estrangement being followed in this country has now been changed into the policy of endearment of the minority community. It is indeed a welcome feature. This Bill guarantees the right to be restored to the minority community. The long-standing problem of the minority community will be solved by the introduction of this Bill. Therefore, I once again welcome this Bill.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : उपाध्यक्ष जी, बड़े दुख के साथ मैं इस बात को यहां रख रहा हूं। वैसे आज सारे देश में बड़ी मात्रा में शिक्षा का व्यापार हो रहा है। यह शिकायतें लगभग हर राज्य से हैं, विशेाकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह मेडीकल हो या इंजीनियरिंग हो, उसमें सबसे ज्यादा व्यापार होता है। इस ि वधेयक को पहले अध्यादेश के रूप में लाया गया, अब विधेयक के रूप में पारित कराना, सरकार की ओर से जो विधेयक लाया गया है, मेरे मन में यह भय है कि जिस तरह आज शिक्षा का व्यापार हो रहा है, शायद यह विधेयक शिक्षा के व्यापार का एक नया अवसर न साबित हो। यह मैं यहां इसलिए कह रहा हूं कि जब श्री इलियास आजमी बोल रहे थे, उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि जो संस्थाएं माइनॉरिटी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली हैं, यदि राज्य सरकारों ने उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा मान लिया है, नए कानून के तहत पात्र होंगी। यदि वह किसी देश के विश्वविद्यालय से, आपने छः विश्वविद्यालयों का चयन किया है, जिनका जिक्र यहां किया गया - दिल्ली विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पहाड़ी विश्वविद्यालय, पॉडीचेरी विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्वि वद्यालय। यदि इन छः विश्वविद्यालयों से वे ऐफीलिएशन चाहती हैं तो सबसे पहले उस संस्था के लिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार उसे माइनॉरिटी संस्था माने। सबसे पहली शिकायत यहां यह की गई कि इस प्रकार की कई शिकायतें आती हैं कि राज्य सरकार उन संस्थाओं को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं देती या माइनॉरिटी संस्था नहीं मानती। फिर इस प्रकार का अध्यादेश लाने की इतनी जल्दी क्या थी। अब अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाया गया है तो जिस आयोग का गठन होगा, उसके कृत्य और शक्तियां क्या हैं, आयोग क्या करेगा, उसके अधिकार क्या हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं, आयोग कौन से कार्य करेगा, उनमें सबसे पहली जिम्मेदारी ि वधेयक के **'क' भाग में लिखी गई है, जिसमें कहा गया है ---**

अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित यदि किसी प्रश्न पर उसे निर्देशित किया जाये तो वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार को सलाह देगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद जो आयोग बनेगा, वह राज्य सरकारों को सलाह देगा और राज्य सरकारों को उस पर अमल करना है। इतना बड़ा निर्णय करने से पहले, आयोग का गठन करने से पहले, विधेयक लाने से पहले, सरकार ने इस बात को महसूस नहीं किया कि यदि हम एक नए आयोग का गठन करने जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध देश के कई अल्पसंख्यकों के साथ है, तो कम से कम जिन राज्य सरकारों को वह सलाह देने वाला है और उनकी सलाह पर राज्य

सरकार अपना निर्णय करेगी, उन राज्य सरकारों से कुछ सलाह-मशविरा करे कि उनके सामने क्या कठिनाइयां हैं, क्या बाधाए हैं, वह समझ लें। इन् सारी बातों को किए बिना यह विधेयक यहां पर लाया गया है।

उपाध्यक्ष जी, मैं राजनीतिक बात यहां नहीं करना चाहता। लेकिन हर बार जब सदन के इस ओर से हम बोलने के लिए खड़े होते हैं और जब किसी हिन्दू धर्म से जुड़ी हुई बात आती है तो लगभग सामने बैठे हुए लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या आप ही हिन्दुओं के ठेकेदार हैं? आज जब इस सदन में चल रही चर्चा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें छोड़कर बाकी सारे लोग मुसलमानों के मसीहा हैं। यह जो तरीका है, जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर यहां बोलने और विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है जब मैं 11वीं लोक सभा में पहली बार इस सदन का सदस्य चुनकर आया था, उस समय मौलाना अबुल कलाम उर्दू विश्वविद्यालय का विधेयक इस सदन में चर्चा के लिए आया था। हमने उस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा था कि किसी एक भााा के विश्वविद्यालय या विद्यालय बनने से भााा समृद्ध हो सकती है, भााा का महत्व बढ़ सकता है, भााा की पहचान दुनिया में बढ़ सकती है। लेकिन केवल भााा समृद्ध होने से किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परि वर्तन नहीं आयेगा। यदि उसके जीवन में परिवर्तन लाना है तो जब से वह पैदा होता है, तब से उसको सारी शिक्षा देने की चिंता करने की आवश्यकता है। चाहे वह देश का बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, हम चाहते हैं कि इस देश का हर जवान, हर युवक और आने वाली पीढ़ी अच्छा पढे-लिखे। उसको अच्छे संस्कार मिलें वह ि वद्याविभूति हो और उसे विद्वता मिले। जब वह पढ़ेगा, होशियार होगा और अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ-साथ राट्र की भी तरक्की होगी, इसे मानने वाले हम लोग हैं। उस समय हमने यह सुझाव दिया था कि केवल विश्वविद्यालय के निर्माण से कार्य पूरा नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों में जो बहुसंख्यक हैं, खास तौर पर अल्पसंख्यक जब हम कहते हैं तो सबसे पहले यह मान लिया जाता है कि अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान है। यह व्याख्या गलत है। इस देश में अल्पसंख्यक कई हैं। अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, सिख हैं, पासरी हैं, जैन हैं। ऐसे कई धर्म हैं जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं। जब हम रीजन या भााा पर बात करते हैं तो हमारे देश में कई भाााएं हैं। देश के कई राज्यों में अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक की व्याख्या अलग-अलग है। इसलिए उस समय हमने सुझाव दिया था कि बुनियादी शिक्षा और उसके बाद उच्च शिक्षा देनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा उसे मातृभााा से मिलती है, लेकिन उच्च शिक्षा दुर्भाग्य से हमारे देश में आज भी मतृभााा से नहीं मिलती। चाहे वह इंजीनियर की शिक्षा हो चाहे मेडिकल

की शिक्षा हो, वह हमें अंग्रेजी में ही सीखनी है। फिर अल्पसंख्यक और खास तौर पर यदि हम मुसलमानों का जिक्र करें तो मुसलमानों की कुल आबादी में से कितने बच्चे उच्च शिक्षा पाते हैं या उच्च शिक्षा ले सकते हैं या उनके परिवार की ताकत है कि वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे सकें।

आप यदि देश का सारा हिसाब-किताब लगाएं तो एक प्रतिशत भी नहीं होगा। आप सारी संख्या देखें तो एक प्रतिशत भी आपको उच्च शिक्षा पाने वाले युवक नहीं

मिलेंगे जिनमें मुसलमान एक प्रतिशत भी हों। हम विरोध नहीं करना चाहते हैं। आप यहां पर आयोग का गठन करेंगे, राज्य सरकारों को आदेश देंगे, वह जो विद्यालय शुरू होगा, विद्यालय खुलेगा, वह मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अब यदि कॉलेज खोलने के लिए उसको राज्य सरकार की या सरकार की या संस्थाओं की मान्यता चाहिए तो उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया या यू.जी.सी. या ए.आई.सी.टी. के पास जाना पड़ेगा और जब उनसे मान्यता मिलेगी, तब वह विद्यालय शुरु कर सकते हैं। अब इस स्थिति में इनको क्या जल्दी थी कि आप इस तरीके से इस विधेयक को लाए हैं। इसके ऊपर यदि चर्चा होती, सबकी राय ली होती तो ज्यादा अच्छा होता। हम इस बात को अच्छी तरह से मानते हैं। यह जो अल्पसंख्यक विशेाकर जब मुसलमानों का जिक्र होता है, यदि एक अल्पसंख्यक उच्च शिक्षा पाता है तो उसमें देश का भला होगा, देश का बुरा नहीं होगा। इसलिए देश का बुरा नहीं होगा क्योंकि उसको वास्तविकता का ज्ञान होगा। वह अज्ञान से बाहर आएगा। उसको दुनिया की पहचान होगी। वह आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Geete, please wind up.

श्री अनंत गंगाराम गीते : आज जो स्थिति है, उस स्थिति का कारण अल्पसंख्यकों का अज्ञान है। इसी के कारण उन्हें सही शिक्षा नहीं मिल रही है। वह शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। वह देश, समाज और दुनिया को नहीं समझ पा रहे हैं और उस अज्ञान को उकसाने का काम हम राजनीतिज्ञ लोग करते हैं और उसी का फायदा रानीतिक मतलब के लिए उठाया जाता है। हम विधेयक का विरोध करने के लिए यहां पर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यदि सचमुच में अल्पसंख्यक और खासकर मुसलमानों के हितों की बात करनी है तो इन सारी बातों पर सोचने की आवश्यकता थी और उन पर सोचे बगैर यह विधेयक यहां पर आप लाए हैं और जब मोहन सिंह जी यहां पर खड़े हो गये तो हमने बैठे-बैठे जोर दिया था कि शिक्षा मंत्री ने सम्मेलन बुलाया तो समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया। वह तो हमने यहां से कहा था कि इसका जरूर कुछ राजनीतिक लाभ होगा और उसमें ये आपको भागीदार नहीं बनाना चाहते हैं। यदि यही वास्तविकता होगी तो

इस आयोग से हमें क्या मिलेगा ? इस मानसिकता को हमें बदलने की आवश्यकता है। जब हम खड़े होते हैं तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, शिव सेना मुसलमानों के खिलाफ है। यह बार-बारâ€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary please. He is going to wind up soon.

...(*Interruptions*)

श्री अनंत गंगाराम गीते : आपको जवाब इलियास आज़मी जी ने दिया है। हमें बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं है। हम एन.डी.ए. के रूप में 5-6 साल के लिए इस देश में रूलिंग में आए और 50 साल तक आप लोगों ने ही राज किया था। इन 50 सालों के राज में आज भी अल्पसंख्यकों का मुख्य वर्ग जो मुसलमान है, उनकी स्थिति में क्या सुधार हुआ है ? हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। जो भारतीय मुसलमान हैं, जो इस धरती को प्यार करते हैं, इस धरती को मां मानते हैं, वे हमारे भाई हैं। इसमें विवाद कहां आता है? यह हमारी मानसिकता है। मैं जिस क्षेत्र रत्नागिरि से आता हूं, हमारे अंतुले साहब यहां पर उपस्थित हैं। वहां एक लाख से ज्यादा मुसलमान भाई हैं और मुझे यहां कहते हुए फख होता है कि जब वोटिंग होती है तो एक लाख में से लगभग 30 से 35 प्रतिशत लोगों के वोट शिव सेना के अनंत गंगाराम गीते को मिलते हैं। वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता है लेकिन हम राजनीतिक लाभ के लिएâ€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not disturb him. Please do not interfere in his speech.

...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कोई मेरी परमिशन के बगैर बोलेगा, उसकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। Nothing will go on record.

...(व्यवधान)...*

श्री अनंत गंगाराम गीते : आप मुसलमानों को दंगे से मत जोड़िए।â€¦ (व्यवधान)यही तो मानसिकता है।â€¦ (व्यवधान)

*Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not disturb please.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No running commentary.

...(*Interruptions*)

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं बस खत्म कर रहा हूं। उपाध्यक्ष जी, पिछले 50-55 साल से जो नीतियां पूर्व की कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाई थीं, उनमें कोई बदलाव मुझे यहां दिखाई नहीं देता है। न ही इस सरकार की यह मंशा मुझे दिखाई देती है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगी। इस विधेयक से और इस आयोग से क्या लाभ होगा, मुझे पता नहीं। अच्छा होता अगर इस प्रकार के आयोग का गठन करने से पहले सभी राज्यों से सलाह-मशविरा किया जाता, उनकी राय ली जाती। फिर अल्पसंख्यक चाहे वे सिख हों, मुसलमान हों, क्रिश्चियन हों, पारसी हों, जैन हों या भााई अल्पसंख्यक हों, उनके हितों के लिए इस प्रकार का आयोग होता, तो हम उसका स्वागत करते। लेकिन मैं इस राजनीतिक विधेयक का विरोध करता हूं।

â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not to be recorded.

*(Interruptions)**

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना।

श्री रामजीलाल सुमन - आप कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

*Not Recorded.

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : मैं आठ मिनट में अपने अपनी बात खत्म कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पांच मिनट में आपको खत्म करना है।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, राट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, विधेयक 2004 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उधर से सुशील कुमार मोदी साहब और हमारे मित्र अनंत गीते जो ने अपने-अपने भााण किए। उपाध्यक्ष महोदय, तर्क क्या होंगे, भाा क्या होगी, यह अलग सवाल है। लेकिन सही अर्थों में भाव यह है कि जब भी इस देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण की कोई बात की जाती है, तो ये उसे किसी भी कीमत पर पचाने को तैयार नहीं होते। हमारे बारे में कहा गया कि सरकार ने जो बैठक बुलाई थी, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास और उनकी हालत के बारे में जो चर्चा होनी थी, उसमें समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया गया। हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमें कोई फिक्र भी नहीं है और न उसकी कोई शिकायत है। अल्पसंख्यकों के प्रति समाजवादी पार्टी का जो दृटिकोण है, वह जग जाहिर है और किसी प्रमाण पत्र की हमें आवश्यकता नहीं है। सही मायनों में यह जो राट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग है, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इससे अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक हालत में कोई बुनियादी तब्दीली या सुधार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यह एक छोटे से काम तक ही सीमित है। इसका मकसद यह है कि इस आयोग द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को जिन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता नहीं मिलती थी उन्हें सम्बद्धता मिलने में थोडी आसानी हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस विधेयक का सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं ?

श्री रामजीलाल सुमन : हम तो समर्थन ही कर रहे हैं। लेकिन इसका कोई ज्याद अर्थ नहीं है। इस आयोग का असली काम यह है कि अल्पसंख्यकों के जो महाि वद्यालय हैं या शैक्षणिक संस्थाएं चलती हैं, उनको विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, यही इसका मतलब है।

इसका दूसरा मतलब यह है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में जो डिग्री मिलेगी, उसे केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता मिलेगी। हमने भी उत्तर प्रदेश में अली जौहर महाि वद्यालय की बात कही थी और विधान सभा में इससे सम्बन्धित विधेयक को पास किया था। मैं राज्यपाल जी की पद और गरिमा के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं करना चाहता, लेकिन एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपालों का जो आचरण है निश्चित रूप से चिंता का विाय है। दो-दो बार विधान सभा से विधेयक के पास करने के बाद भी राज्यपाल महोदय ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये। मेरे कहने का मतलब यह है कि सही मायनों में अल्पसंख्यकों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, उनके लिए हम कुछ काम नहीं करेंगे तो सतही कामों को करने का कोई मतलब नहीं है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो बैठक बुलायी गयी थी, उसका सार यह था जो बिल के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है, मैं उसे जरूर पढ़ना चाहूंगा। " अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि द्वारा उठाए गये विभिन्न मुद्दों में से एक मुद्दा, इस संबंध में उनके द्वारा प्रदान की गयी संवैधानिक गारंटियों के बावजूद उनकी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करना और उनके चलाने में उनके द्वारा महसूस की गयी कठिनाइयों को दूर करने का था" ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ महाविद्यालय चलते थे उनको विश्वविद्यालय दिक्कतें पैदा करते थे और कुछ शर्तें ऐसी हो जाती थी जिनको पूरा करने में निश्चित रूप से उनको सम्बद्धता में दिक्कत होती थी। आज इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थाएं जो चलती हैं उनको वित्तीय मदद करने की आवश्यकता है, उनको प्रशासनिक मदद करने की आवश्यकता है। उनकी शैक्षणिक संस्थाओं को चलाने में आर्काण पैदा कैसे हो, ऐसा करने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। आज देश के स्तर पर जो शिक्षा है उसका राट्रीय औसत 63 फीसदी है और अल्पसंख्यकों का उसमें केवल 51 प्र ातिशत है। अल्पसंख्यकों के जो बच्चे हैं वे दसवीं कक्षा तक आते-आते घर बैठ जाते हैं और सिर्फ 7 प्रतिशत बच्चे ही 10वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। स्नातक शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत केवल 5.4 है और तकनीकी शिक्षा में 3.2 प्रतिशत है।

जो महाविद्यालय हैं वे विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हो जाएं वह तो एक अलग सवाल है। माननीय अर्जुन सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। आज मुसलमानों को तालीम नहीं मिल रही है। जब तक उनकी तालीम का प्रतिशत आगे नहीं बढ़ेगा, एक वातावरण उनके लिए आप तैयार नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि सतही तौर पर काम करने के परिणाम ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। यह काम जो सरकार कर रही है, इससे कोई बुनियादी परिवर्तन अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक माहौल में आने वाला नहीं है। उनकी स्थिति के आकलन में जो समस्या निकलकर आयेगी, उसमें प्रमुख समस्या तालीम की कमी है। एक तरफ जहां मैं इसका समर्थन करता हूं वहीं प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सतही काम मत करिये। असल सवाल यह है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा में सुधार हो और उनकी शिक्षा का प्रतिशत बढ़े। शिक्षा का एक वातावरण बने और सरकार उनको संरक्षण देने का काम करे, तभी कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think the discussion will continue tomorrow.

Now, the House stands adjourned to meet tomorrow, the 15th December, 2004 at 11 a.m.

18.29 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Wednesday, December 15, 2004/Agrahayana 24, 1926 (Saka).